## （⿴囗⿻弋一）LIC

भारतीय जीवन वीमा निगम
नोट：आरा आपकी कोई शिकायत／सममस्या，हो तो आप शिकायत समाधान अधिकरी／लोक्पाल से सम्पर्क पर सकते हैं，जिनका पता नीचे दिया गया है：
NOTE：In case you have any Complaits／Grievance，you may approach Grievance Redressal Officer／Ombudsman，whose address is as under


नोट：इन नियमों तथा शतों और विशेष प्राधधानो／शतों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंगेगी पाठ मान्य होगा।
Note：In case of dispute in respect of interpetation of these terms and conditions and special provisions／conditions the English version shall stand valid．

एलआईसी की जीवन प्रगति पॉलिसी（लाभ सहित） LIC＇S JEEVAN PRAGATI POLICY（with profit）

## 

भाग－अ／PART－A
भारतीय जीवन बीमा निगम को（जिसे यहां बाद में＂निगम＂कहा गया है）यहां नीचे संदर्भित अनुसुची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीिित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषापप्त और पहले प्रीमियम की प्राजि हु है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर，उसमें निहित तथा उल्लिखित वक्तव्यों सहित，उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमे के आधार के रूप में सहमति हो गयत


 हितलामों，सेवा प्रदान करने से संबंधित शतों，अन्य नियमों और शतों तथा वैधानिक प्रवधानों और निम्नलिखित अनुसूतू तथा निगम द्वारा लगए गए प्रत्येक पृष्ठांकन जिसे पॉलिसी का आ भाना जाएगा，के विष्याधीन होगी।
THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA（hereinafter called＂the Corporation＂）having received a Proposal along with Declaration and the first premium and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this policy agree，in consideration of and subject tot the duve receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule，to pay the Benefits，but without interest，at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule，on proof to the satisfaction of the Corporation
of the Benefits having become payable as set out in this Policy Document，of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted．Andi itis hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions enefits，Conditions Related To Servicing Aspects，Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following
मण्डल कार्यालय／DIVISIONAL OFFICE：


शाखा कार्यालय／BRANCH OFFIC

Note：Conditions of the LIC＇s Accidental Death and Disability Benefit Rider mentioned under condition no． 4 of Part C C（Benefits）shall only papply ft this rider has
hen been opted for．
बीमा आधिनियम， 1938 की धारा 39 के अंतार्तात नामित व्यक्ति का नाम／Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act， 1938
यदि नामित अवयस्क है，तो नियुप्त व्यक्त का नाम：／If nomine is a minor name of the Appointee यदि नामित अवस्क है，तो नियुप्त व्यक्ति का नाम：／If nominee is a minor，name of the Appointee
प्रस्ताव सं．：／Proposal No．

प्रस्ताव की लिथि：／Date of Proposal： | पॉलिसी जारी |
| :--- |
| of policy： |

| पॉलिसी जारी करने की तिथि：／Date of issuance |
| :--- |
| of policy： |


| हितलाभ चित्रण संदर्भ सं．：／Benef |
| :--- |
| Illustration Reference No．： |

（

## लाभाथाथ，हितलाभ जिस देय हैं Beneficiary to whom Bene <br> enficiar to

प्रीमियम देयता की अवधि
eriod during which premiums payable
प्रीमियम देयता की तिथियां $\qquad$


निगम के लिए उपोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित，जिसका पता अंतिम पपष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए ।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office，whose address is given on the ast page and to which all
relating to the policy should be addressed．
दिनांक／Date：

जांचकर्ता／Examined by
फॉर्म नं．／Form No．：
कृते मुख्य／वरिष्ठ／शाखा प्रबंधक

| एजेन्सी कोड Agency Code | एजेन्ट का नाम Agent Name | एजेन्ट का मोबाइल नंबर／लैंडलाइन नंबर Agent＇s Mobile Number／Landline Number |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |

## था-ब: परिभाषाप्ये

ॉॅलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नानुसार
. उम्र का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय बीमित व्यक्ति के नज़दीकी जन्मदिन
नियक्त-व्यक्ति
नियक्त-व्यक्ति (एॉॉन्ती) वह व्यक्ति है जिसे पॉलिसी के अंतर्तात स्रुक्षित राशि/
हितलाभ के भगतान की तिथि को नामित के नबालिग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर वह आमदनी/हिताभ देय होती है।
3. वार्षिकीकृत म्रीमियम एक पॉलिसी वर्ष में कुल देय प्रीमियम राशि है जो कि बीमालेखन अतिरिक्त राशि को छोड़कर है।
समानदेशशती वह व्यक्ति है जिसे समनदेशेन के फलस्व्वरूप पॉलिसी के अधिकार तथा हितलाभ हस्तांतरित किए जाते हैं।
5. समनदेशेनन समय-समय पर यथा संशेधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 स्थनान्तरित होने की प्रक्रिया है।
6. मूल पॉलिसी पॉलिसी का वह भाग है जिसमें मूल हिताभ का उल्लेख किया गया हो (इस पॉलिसी दस्तावेज में राइडर के अंतर्गतत संरक्षित हितलाभों यदि चुना गया हो, को छोड़कर, अन्य हितलाभ)
7. लाभार्थी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो इस पॉलिसी के अंतगरत हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र है। लाभार्थी, प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसका समनुदुशशती या नामित व्यक्ति या प्रमणित निष्पादक या क्रशासक या कोई अन्य वैधानिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है।
निगम का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित निगम से है
पॉलिस के आरभ होन की तिथि का अर्थ इस पॉलिसी के प्रारम्भ होने की तिथि है। 0. जोखिम के आरंभ होने की तिथि वह तिथि है जब निगम बीमा हेतु जोखिम (संर्षण) को स्वीकार कर लेता है जैसा कि पॉलिसी अनुसूपू में दर्शित है।

1. पॉलिसी जारी करने की तिथि वह तिथि है जब किसी प्रस्ताव को बीमा लेखन के बाद पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया जाता है और करार हो जाता है ।
2. परापक्वता की तिथि का अर्थ वह निश्चित तिथि है जब हितलाभ पूर्णतः या

निहित होने की तिथि वह तिथि जब से पॉलिसी के हितलाभ पाने के लिए बीमित व्यक्ति हकदार होता है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 3 में विनिद्दिं है।
14. मृत्यु पर मिलने वाली राशि का अर्थ संविदा के आरंभ के समय सहमत हितलाभ से है, जो कि इस पॉलिसी दस्तावेज के "भाग स" की शर्त 1 में विनिर्धारित दशा में देय है।
5. डिस्चार्ज फॉर्म पॉलिसीधारक/दववेदार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गात परिपक्वता/ अभ्यपणण/मून्य
वाला फॉर्म हैं
6. देय तिथि का अथ्थ वो तिथि है जब पॉलिसी प्रीमियम देय है तथा पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान योग्य हो।
17. पृष्ठांकन से अथ निगम द्वारा किन्ही सहमत या जारी संशोधनों या आशोधनों का इस पॉलिसी में शमिल करने के लिए संलन्न/जोड़ी गई शतों से है।
18. अंतिम अतिरिक्त बोनस, जिसे टरिनल (समापित) बोनस भी कहा जाता है, वह
अतिरिक्त राशि है जिसके पॉलिसी की समापि पर हितलाभों के साथ देय है, अतिरिक्त राशि है
9. पूर्र समाप्ति एक क्रिया है, जिसे बकाया ऋण या ऋण पर ब्याज को देय तिधि पर न जमा किये जाने पर पॉलिसी को पूर्व समाप्त कर दिया जाता है
20. मुफ्त तुक अवधि पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि, इस पॉलिसी के नियमों तथा शत्रों की समीक्षा करने के लिए है, और अगर पॉलिसीधारक उन नियमों तथा शतों में सै
लौटाने का विकल्प है।
21. रियायती अवधि यह प्रीमियम की देय तिथि से बीमाकर्ता द्वारा दिया गया भुगतान हुत वह समय है जिसके दौरान बिना किसी जुमाने/विलम्ब शुल्क के प्रीमियम का हुगतान किया जा सकता है तथा पॉलिसी शत्रों के अनुसार जोखिम संसक्षण बिना
2. गारंटीड अभ्थर्पण मूल्य पॉलिसी के अभ्थर्यण किए जाने पर पॉलिसीधारक को अदा किए जाने वाले अभ्यर्पण मूल्य की न्यूनतम गारंटीड राशि है
23. पूर्णत: प्रभावी का अर्थ यह है कि पॉलिसी के अंतर्गत सभी देय प्रीमियम का देय तिथि से पहले या रियायती अवधि में भुगतान कर दिया गया है।
 इडाता था।
5. कालातीत (लैप्स) पॉलिसी की वह दशा है जब रियायती अवधध के दररान देय पीमियम का भुगान नहीं किया जाता है।
26. बीमित व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा संर्षण लिया गया है।
27. ऋण निगम द्वारा पॉलिसीधारक को पॉलिसी पर देय अ२्यर्पण मूल्य पर प्रदान की यी ब्बाज्यक्त लौटायी जाने वाली राशि है।
28. परिभक्वता हिताभ का अर्थ वह हितलाभ है जो कि परिपक्वता अर्थात इस पर देय है, अगर बीमित व्यक्ति पॉलिसी की परिप्वता की तिथि तक जीवित रहता है।

PART - B: DEFIIITIONS
The definitions of terms/words used in the Policy Document are
The definitions of terms/words used in the Policy Document an
as under: Age is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of
commencement of the policy except for age 12 years for which the commencement of the pol
2. Appointee is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
3. Annualized Premium is the total amount of premium payable in a policy year excluding extra amount if charged under the policy due to underwiting decisions and rider premium, if any.
4. Assignee is the person to whom the rights and benefits are
transferred by virtue of an Assignment.
5. Assignment is the process of transferring the rights and benefil oo an "Assignee". Assignment should be in accordance with the
provisions of Section 38 of Insurance Act. 1938 as amended from time to time.
6. Base Policy is that part of the Policy referring to basic beneft enefits referred to in this Policy $D$. excluding benefis covered under Rider(s), if opted for).
Beneficiary means the person who is entitled to receiv
benefits under this Policy. The Beneficiary may be proposer benefits under this Policy. The Beneficiary may be proposer or Administrators or other Legal Representatives as the case may be.
8. Corporation means the Life Insurance Corporation of India
established under Section 3 of the LIC Act, 1956 .
9. Date of commencement of policy is the start date of this Policy.
10. Date of commencement of risk is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidence the schedule of the policy
Date of issuance of policy is a date when a proposal after
underwriting is accepted as a policy and this contract gets underwrtiting
effected.
12. Date of Maturity means a fixed date on which benefit may become payable either absolutely or contingently.
13. Date of vesting is the date from which the Life Assured becomes entitled to the policy benefits as specified in Condition 3 of Part C of this Policy Document.
14. Death Benefit means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death of Life Assured as specified
Condition 1 of Part C of this Policy doce
15. Discharge form is the form to be filled by policyholder/claiman
claim the maturity / surrender / death benefit under the policy.
16. Due Date means a fixed date on which the policy premium is due
and payable by the policyholder.
17. Endorsement means condition incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
18. Final Additional Bonus, also called as Terminal Bonus, is an additional amount payable along with the benefits on termination of the policy, if applicable.
19. Foreclosure is an action of closing the policy due to default in
20. Free Look Period is thean and/or loan interest on due date.

Free Look Period is the period of 15 days from the date of receipt
of the Policy Document by the Policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the Policyholder disagrees any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
21. Grace period is the time granted by the insurer from the due date for the payment of premium, without any penalty/ late fee date for the payment of premium, without any penalty/ late fee,
during which time the policy is considered to be inforce with he insurance cover without any interruption as per the terms of Ge policy.
22. Guaranteed Surrender Value is the minimum guaranteed amou ender Value payable to the policyholder on surrender of force means all due premiums have been paid on or before the Inforce means all due premiums have
due date or within the grace period.
24. IRDAI means Insurance Regulatory and Development Authority of India eariier call
Authority (IRDA).
25. Lapse is the status of the Policy when due premium is not paid within the grace period.
26. Life Assured is the person on whose life the insura been accepted.

Loan is the interest bearing repayable amount granted by the Coricororation against the surrender value payable to the policyholder.
.i.e at the end of the policy term as specified in Condition 2 of Pa
कुल अदा किए गए प्रीमियमों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक

|  | पॉललस़ी अवपि $\rightarrow$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00 |
| 2 | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00 |
| 3 | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.0\% | 30.00\% | 300\% |
| 4 | 50.0\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% |
| 5 | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% |
| 6 | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00 |
| 7 | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.0 |
| 8 | 57.50\% | 56.00\% | 55.00\% | 54.29\% | 53.75\% | 5.33\% | $5.00 \%$ | 52.73\% | 52.50\% |
| ${ }_{5} 9$ | 65.00\% | 62.00\% | 60.00\% | 5.5.7\% | 5.5.5\% | 56.67\% | 56.00\% | 55.45\% | 55.00\% |
| 寿 | 72.50\% | 68.00\% | 65.00\% | 62.8\%\% | 61.25\% | 60.00\% | 59.00\% | 58.18\% | 57.50\% |
| ${ }^{11}$ | 80.00\% | 74.00\% | 70.00\% | 67.4\% | 65.0\% | 6.33\% | 62.00\% | 60.91\% | 60.00\% |
| 12 | 80.00\% | 80.00\% | 75.00\% | 71.43\% | 68.75\% | 66.67\% | 65.00\% | 6.8.4\% | ${ }^{62.50}$ |
| 13 |  | 80.00\% | 80.00\% | 75.71\% | 72.50\% | 70.00\% | 68.00\% | 66.36\% | ${ }^{65.00}$ |
| 14 |  |  | 80.00\% | 80.00\% | 76.25\% | 73.33\% | 71.00\% | 69.0\% | 67.5 |
| 15 |  |  |  | 80.00\% | 80.00\% | 76.67\% | 74.00\% | 71.82\% | 70.00\% |
| 16 |  |  |  |  | 8.00\% | 80.00\% | 77.0\% | 74.55\% | 72.50\% |
| 17 |  |  |  |  |  | 80.00\% | 80.00\% | 77.27\% | ${ }^{75.00}$ |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 80.0\% | 80.00\% | 77.50 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 80.00\% | 80.00 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

परिशिष्य - 5
निहित बोनसों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक

|  | पॉलतली अवधि $\rightarrow$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% |
| 2 | \% | 00\% | 0.00\% | 0.0\%\% | 0.0\%\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% |
| 3 | 8.60\% | 18.16\% | 17.85\% | 17.66\% | 17.58\% | 17.58\% | 17.03\% | 16.58\% | 16.22 |
| 4 | 19.18\% | 18.60\% | 18.16\% | 17.85\% | 17.66\% | 17.58\% | 17.53\% | 17.03\% | 16.53\% |
| 5 | 19.93\% | 19.18\% | 18.0\%\% | 18.16\% | 17.85\% | 17.66\% | 17.58\% | 17.58\% | 17.03\% |
| 6 | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.0\%\% | 18.16\% | 17.85\% | 17.6\%\% | 17.58\% | 17.58\% |
| 7 | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 18\% | 18.60\% | 18.16\% | 17.85\% | 17.66\% | 17.58\% |
| 8 | \% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.6 | 18.16\% | \% | 17.6\% |
| 9 | 25.05\% | 23.38\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.00\% | 18.16\% | ${ }^{17.85}$ |
| 10 | 27.06\% | 25.5\% | 38\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 18\% | 18.00\% | 18.16\% |
| 11 | 30.00\% | 27.0\%\% | 25.5\% | 23.38\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.6 |
| 12 | 35.00\% | 30.0\%\% | 27.0\%\% | 25.5\% | 23.38\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% |
| 13 |  | 35.0\% | 30.0\% | 27.0\%\% | 25.5\% | 23.38\% | 21.9\% | 20.85\% | 19.93\% |
| 14 |  |  | 35.0\% | 30.00\% | 27.06\% | 25.5\% | 23.38\% | 21.99\% | 20.85 |
| 15 |  |  |  | 35.0\% | 30.00\% | 27.06\% | 25.5\% | 23.38\% | 21.99\% |
| 16 |  |  |  |  | 35.0\% | 30.0\% | 27.0\%\% | 25.5\% | 23.38\% |
| 17 |  |  |  |  |  | 35.0\% | 30.00 | 27.0\%\% | 25.00 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 35.0\% | 30.00\% | 27.06\% |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 35.0\% | 30.0 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.00\% |

Annexure 4
Guaranteed Surrender Value factors applicable to total premiums $\underset{\text { paid }}{\text { Guara }}$

|  | Policy Term $\rightarrow$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% |
| 2 | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% |
| 3 | 00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% | 30.00\% |
| 4 | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00 |
| 5 | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.0\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% |
| 6 | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.0\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00 |
| 7 | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00\% | 50.00 | 50.00 |
| 18 | 57.50\% | 56.00\% | 55.0\% | 54.29\% | 53.75\% | 53.33\% | 53.00\% | 52.73\% | 52.50 |
| 砣 9 | 65.00\% | 62.00\% | 60.00\% | 58.57\% | 57.50\% | 56.67\% | 56.00\% | 55.45\% | 55.00\% |
| - 10 | 72.50\% | 68.00\% | 65.00\% | 62.86\% | 61.25\% | 60.00\% | 59.00\% | 58.18\% | 57.50\% |
| $\stackrel{11}{ }$ | 80.00\% | 74.00\% | 70.00\% | 67.14\% | 65.0\% | 63.33\% | 62.00\% | 60.91\% |  |
| 12 | 80.00\% | 80.00\% | 75.00\% | 71.43\% | 68.75\% | 66.67\% | 65.0\% | 63.64\% | ${ }^{62.50}$ |
| 13 |  | 80.00\% | 80.00\% | 75.71\% | 72.50\% | 70.00\% | 68.00\% | 66.36\% | 65.00\% |
| 14 |  |  | 80.00\% | 80.00\% | 76.25\% | 73.33\% | 71.00\% | 69.09\% | 67.50 |
| 15 |  |  |  | 80.00\% | 80.00\% | 76.67\% | 74.00\% | 71.82\% | 70.00\% |
| 16 |  |  |  |  | 80.00\% | 80.00\% | 77.00\% | 74.55 | 72.50 |
| 17 |  |  |  |  |  | 80.00\% | 80.00\% | 77.27\% |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 80.00\% | 80.00\% | ${ }^{77.50}$ |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 80.00\% | 80 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.0 |

Annexure 5

|  | Policy Term $\rightarrow$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00 |
| 2 | 00\% | 0\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00\% | 0.00 |
| 3 | \% \% | 18.16\% | 17.85\% | 17.6\% | 17.58\% | \% | (3\% | 58\% | 16.22\% |
| 4 | 19.18\% | 18.00\% | 18.16\% | 17.85\% | 17.6\% | 17.58\% | 17.58\% | 17.03\% | 16.58\% |
| 5 | 19.93\% | 19.18\% | 18.60\% | 18.16\% | 17.85\% | 17.66\% | 17.58\% | 17.58\% | 17.03\% |
| 6 | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.00\% | 18.16\% | 17.85\% | 17.6\% | 17.58\% | 17.58\% |
| 7 | 21.9\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.60\% | 18.16 | 17.85\% | 17.66\% | 17.58\% |
| 8 | 23.38\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.00\% | 18.16\% | 17.85\% | 17.66\% |
|  | 25.55\% | 23.3\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.00\% | 18.16\% | 17.85\% |
| ${ }^{-3} 10$ | 27.06\% | 25.05\% | 23.38\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.00\% | 18.16\% |
| $\stackrel{1}{11}$ | 30.0\% | 27.06\% | 25.05\% | 23.38\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% | 18.60\% |
| 12 | 35.00\% | 30.0\% | 27.06\% | 25.05\% | 23.38\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% | 19.18\% |
| 13 |  | 35.0\% | 30.0\% | 27.06\% | 25.05\% | 23.3\% | 21.99\% | 20.85\% | 19.93\% |
| 14 |  |  | 35.00\% | 30.00\% | 27.06\% | 25.05\% | 23.38\% | 21.99\% | 20.8 |
| 15 |  |  |  | 35.0\% | 30.0\% | 27.06\% | 25.05\% | 23.38\% | 2 |
| 16 |  |  |  |  | 35.00\% | 30.00\% | 27.06\% | 25.05\% | 23.38\% |
| 17 |  |  |  |  |  | 35.0\% | 30.00\% | 27.06\% | 25.05 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 35.00\% | 30.00\% | ${ }^{27.06}$ |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 35.00\% | 30.00\% |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |

29. महत्वपूर्ण जानकारी वह जानकारी है जो कि पॉलिसी प्राप्त करते समय बीमित
व्वाति को पहले से ज्ञात थी जिसका प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव/पॉलिसी के ब्वामतलेखन पर पर प्रभाव होता है।
30. अवयर्क या नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र परी न की हो
31. नामांकन किसी व्यक्ति को "नामित" करने के लिए प्रस्ताव प्रपत्न में या बाद में पपष्ठांकन द्वारा शामिल करने/बदलने की प्रक्रिया है। समय-समय पर यथा संशोधित
बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के प्रवधान के अनुसार नमांकन किया जाना चाहिए।
32. नामित वह व्यक्ति है जो बीमित व्यक्ति की मुत्य की दशा में पोलिसी की राशि
को मान्य रूप से उन्मोचित (डिस्चाज) करने का अधिकार रखता है।
33. प्रतिभागी का अर्थ है निगम के अनुभव के आधार पर पॉलिसी मुनाफे में भगीदारी को पात्र है।
34. चुकता पॉलिसी की वह स्थिति है, जब कम से कम 3 पूरे वषों तक प्रीमियम का दुरानान नहीं किया गया हो। 35. पॉलिसी वर्षांठ का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष बाद की
तिथि तथा उसके बाद परिपक्वता तिधि तक एक वर्ष बाद आनेवाली प्रत्येक उस तिथि से है।
35. पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज का अथ पृष्ठठंकोों, अर कोई हों, साहित निगम द्वारा जागी वह दस्तावेज है जो कि पॉलिसीधरकक तथा निगम के बीच एक वैधानिक
अनबबध होता है। अनुबंध होता है।
36. पॉलिसीधारक इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।
37. पॉलिसी अवधि वर्षों में पॉलिली के आरंभ होने की तिथि से वह अवधि है, जब
पॉलिसी के नियमों व शतों के अनुसार संदिपता हितलाभ दे होते हैं। पॉलिसी के नियमों व शतां के अनुसार संविदागत हिलाभ देय होते हैं।
38. पॉलिसी वर्ष दो लागाता पॉलिसी वर्षाांठों के बीच की अवधि है। इस अवधि में पहला 0. प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को सुरक्षित करने के लिए इस पॉलिसी
 पॉलिसीधारक द्वारा अदा की जाने वाली संविदागत राशि है। अदा किया जाने वाला प्रीमियम होगा "कुल किस्त प्रीमियम", जिसमें शामिल होगा

मूल पॉलिसी के लिए किस्त प्रीमियम तथा
राइडर के लिए किस्त प्रीमियम, आगर राइडर को चुना गया हो इस पॉलिसी कागजात में कहीं भी इस्तममाल
प्रकार के करों को शमिल नहीं किया गया है।
41. निर्न्तर बीमा योग्यता का प्रमाण यह पॉलिसीधारक से मांगी जानवाली जानकारी है ताकि पॉलिसी के पुनचलन का निण्णय लिया जा सके। इसमें उत्तम स्वास्थ्य की धोषणा, मेडिकल रिपोर्टस, विशेष रिपर्ट्स आदि शामिल है।
42. प्रस्तावक वह व्यक्ति है जो जीवन बीमा लेने का प्रस्ताव देता है।
43. पुनललन का अथ प्रीमयय का भुगतान न किए जानवाली पोलिसी को, सभी देय आमियम तथा अन्य प्रभारों/विलम्ब शुल्ल, आगर कोई हो, पॉलिसी के नियमों व अननसर प्स्त्वत जानकारी, कागजातों तथा रिपोटस के आधार पर बीमाधारक के अनुसार प्रस्तुत जानकारी, कागजातो तथा रुपाटस के आधार पर बीमधारक
की निर्नर बीमयययेयता के बारे में संतुष्ट होने पर बीमाकता द्वारा पॉलिसी को पॉलिसी दस्तावेज में उल्लेख किए गए समस्त हितलाभों को फिर से चालू किए
जाने से है।
44. पुनर्चलन अवधि इसका अर्थ पॉलिसी के अप्पभावी होने की तिधि से लगातार दो करों की अवधि है, जिस अवधि के दौरान पालिसोधारक पालिसी को पुनर्चालित करने का पात्र है,
कर दिया गया हो।
45. राइडर एक मूल्यवर्द्धित हितनाभ है इस पॉल्सिसी के अंतर्गत विन्धर्धातित किए गए अनुसार मूल हितलामों के साथ जोड़ा गया है।
46. राइड प्रीमियम एक मूल्यवर्धित हितलाभ हैं, जो पॉलिसी दस्तावेज में वर्णित मूल
हितलाभें के अतिरिक्त है।
47. राइडर बीमा राशि वह निश्चित रकम है जो कि राइडर के अतगत्र संरक्षित घटना के घटित होने पर, अगर उसे चुना गया हो, देय होती है।
48. अनुसूची पॉलिसी दस्तावेज का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण
मैज् a
49. सरल प्रत्यावती बोनस "लाभ सहित" पॉलिसी पर निगम द्वारा अतिरेक्त/लाभ के रूप में जोड़ा जाता है। निगम के अनुभव के अनुसार इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के
अंत में प्रति हजार मूल बीमा राशि पर घोषित किया जाता है।
50. मूल्यु पर बीमा राशि वह सुनिश्चित राशि होती है जो पॉलिसी की निर्धारित परिपक्वता ताथ के पूर्व मृत्यु पर दय होती है।
परिपव्कता पर बीमा राशि वह सकल राशि है जो परिपव्वता पर देय है जिसका
इस पोलिसी दस्तावेज के भाग स की शृ 2 में उल्ल्य किया गया है। अभुर्यण का अर्थ पॉलिसी को परिप्वता से पर्व वापस लेना/समाप्त क्से
. र्राण पूर्य करा 3. अभ्यर्पण मूल्य का अर्थ, वह राशि है, आरा कोई हो, जो कि इस पॉलिसी के
नियमों तथा शतों के अनुसार उसे अभ्यपण करने की स्थिति में देय होती है।
54. तालिका प्रीमियम यह बीमित व्यक्ति की उम के आधार पर चुनी गई मूल बीमा राशा है।
55. बीमालेखन शब्द का इस्तेमाल जाखिम आकलन की प्रक्रिया का वर्णन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जिन जोखिमों

C of this Policy Document, on life assured surviving the stipulated C of this Policy Do
Date of Maturity.
Material informat
29. Material information is the information already known to the Life Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing o nderwiting of the proposal/Policy submitted
30. Minor is a person who has not completed 18 years of age
named as "Nominee" in the proposal form or subsequentiy included/ changed by an endorsement. Nomination should be in 1938 as amended from time to time. 1938 as amended from time to time.
32. Nominee is the person who has right to give a valid discharge to . Participating means the Policy is eligible for share of profit
depending upon the Corporation's experience.
34. Paid - Up is the status of the Policy, if the premiums are paid for at least 3 full years
the grace period.
35. Policy Anniversary means one year from the date commencement of the Policy and the same date falling one year hereafter, till the date of maturity
36. Policy/Policy Document means this document along with doorsements, if any, issued by the Corporation which is a lega .
37. Policyholder is the legal owner of this policy.
38. Policy term is the period, in years, from the Date commencement of policy during which the contractual
are payable as per the terms and conditions of the policy
39. Policy year is the period between two consecutive policy
aniversaries. This period includes the first day and excludes the
next policy anniversary day next policy anniversary day.
at specified times periodicallyount payable by the Policyhold his Policy Document to secure the benefits under the polie of The premium payable will be "Total Instalment Premium" whic includes

Instalment Premium for Base Policy and
Instalment Premium for Rider, if rider has been opted for. The term 'Premium' use
not include any taxes. the policyhontider to decide revival of the policy This ind from Form of declaration of Good Health, Medical Reports, Specia Reports, etc.
42. Proposer is a person who proposes the life insurance proposal.
43. Revival of a policy which was discontinued due to the non-paymen underwriting decision, upon the receip of all the premium due and other charges/late fee, if any, as per the terms and conditions of of the insured on the basis of the information, documents and reports turnished by the policyholder, in accordance with the the reports furnished by the eolicyhho
existing underwiting guidelines.
44. Revival Period is the period of two consecutive years from the
date of discontinuance of the policy during which policyhalder is entitited to revive policy, during which period the

45. Rider is an add-on benefit in a
under this Policy Document.
46. Rider Premium is the premium payable by the policyholder along with the premium under Base Policy towards the additional cove
benefit opted under the rider, if opted.
47. Rider Sum Assured is the assured amount payable
of a specified event covered under the
of a specified event covered under the rider, if opted.
48. Schedule is the part of policy document that gives the specific
details of your policy.
details of your policy.
49. Simple Reversionary Bonus is the surplus/profit added by the Basic Sum Assured at the end of each financial year based on the Corporation's experience.
50. Sum Assured on Death is the assured amount payable on deat before the stipulated Date of Maturity. 51. Sum Assured on Maturity is the absolute amount payable on
maturity as mentioned in Condition 2 of Part C of this Policy
Document. Document.
52. Surrender means complete withdrawal / termination of the entire
53. Surrender Value means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and conditions of this policy
54. Tabular premium is the premium for the chosen Basic Sum
Assured based on the age of the Life Assured without application Assured based on the age of the Life Assured without application
of any rebate or extra loading.

का सामना किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए यह आनुपातिक लागत है।
बीमालेखन के आधार पर संश्रण की स्वीकति या अस्वीकृति तथा उपय्त्त पी मियम बीमालेखन के आधार पर संस्षण की स्वीकृत या अस्वीकृत तथा उपयुक्त प्रीमियम
या संशीधित शतों को लाग किए जाने, अार कोई हो, के संबध में फुसला लिया जाता है।
UIN का अर्थ इस प्लान को आईआरडए द्वारा आबंटित यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नबर है
त्रा पो प्रत्यावती बोनस है जो घोषित किया जा चुका है तथा पॉलिसी के साथ जुड़ा रहता है।
8. लाभ सहित पॉलिसियां का तात्पर्य ऐसी पॉलिसियों से है, जो पॉलिसी के नियमों और भतों के अनुसार पॉलिसी की अवधि क दोरान निगम को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि

- स: हितलाभ

इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:
मृत्यु पर देय राशि: परिपक्वता की विनिर्धारित तिथि से पूर्व बीमित व्यक्ति की फ्ल्यु होने पर, बशतं पॉलिसी प्रभावी हो, मृत्यु पर देय राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसे "मृत्युप पर बीमा राशि" निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम
अतिरिक्त बोनस, आर कोई हो, के योगफल के रुप में परिभाषित किया गया है जहों "म्त्य पर पर बीमार कशई" को, के योगफल के रुप में परिभाषेत किया गया है। यद की जानेवाली कुल आश्वासित राशि अर्थात पहले 5 पॉलिसी वर्ष के दौरान मूल बीमा राशि का $100 \%$, छ:ठवें से 10 वें पॉलिसी वर्ष के दौरान मूल बीमा बाद मूल बीमा राशि का $200 \%$ भुगतान किया जाएगा।
मुल्यु पर मिलने वाली यह राशि कुल अदा किए गए प्रीमियम के $105 \%$ से
कम नहीं होगी, जिसमें मृत्य की तिथि तक बीमालेखन निणयों के कारण ली गई किसी अतिरिक्त राशि तथा राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो, को शामिल नहीं किया गया
 हने पर, बशन्तं पॉलिसी पूर्णत: प्रभावी हो, "परिप्वत्ता पर बीमा राशि" निहित देय होगी। जहां परिपक्वता पर बीमा राशि मूल बीमा राशि के समान होगी। निहित होने की तिथि ( (ेवल तभी लागू, अगर पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि पर
बीमित व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो): अगर पॉलिसी पूरी तरह से प्रभाव हो तमित व्यक्तित को होन की तिधि तक बीमित व्यक्ति जीवित हो और इस सम निहित होने की तिधि से पहले पॉलिसी की धनराशि हेतु पात्र व्यक्ति से पॉलिसी को अभ्यर्पण करने के लिए लिखित में अनुरोध प्रप्त नही होता है तो निहत होन की इस तिथि को अर्थात 18 वर्ष की उम्र पूरी होने से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षांठ को या उसक तुन्त बाद पड़ने वाली पोलिसी वर्षांठ पर पॉलिसी बीपित व्यक्ति को स्वत:
निहित हो जाएगी और इस प्रकार निहित होने को निगम और बीमित व्यक्ति के बीच करार माना जाएगा। बीमित व्यक्ति को पॉलिसी का स्वामी माना जाएगा तथा प्स्तावक या उसके एस्टेट का उसमें कोई हित या अधिकार नहीं होगा।

## इडर हितलाभ:

अ. एलआईसी का दूर्ट्टनात्मक मुत्यु तथा अपंगता हितलाभ राइडर (UIN:
512B209V01) (अगर चुना गया हो): इस पॉलिली के प्रयोजन हैत दुर्द्रना को "बाहत हिसक तथा दृश्य माध्यमों से अचानक, अनपेक्षित
रूप से होने वाली घटना" के रूप में परिभाषित किया गया है।
एलआईसी का द्धर्दनात्मक मूत्यु तथा अपंगता हितलाभ राइडर अतिरिक्त
पी पीयम के भुतान पर उपलत्ध है। यह राइडर पौलिसी के अंत्रात अवयस्कों प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यह राइडर पॉलिसी के अंतर्गात अववस्कों के जीवन पर बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान उपलल्ध नहीं होगा। हालांके, यह राइडर 18 वष की उम्र पूरी करन के बाद पालिसी वर्षाठ से
उपलबध होगा, आर इस हेत विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है, और अतिरिक्त प्रीमियम का भगतान किया जाता है तथा इसे निगम के बीमालेखन नियमों के अनुसार उपयुक्त पाया जाता है।
उपरोक्त उल्लेख के अधीन, प्रभावी पॉलिसी के अंत्गात, एलआईसी के दृर्दटनात्मक मूल्यु तथा अपंगता हितलाभ राइडर को पॉलिसी के अंत्गत
कभी भी चुना जा सकता है, बशते मू पॉलिसी की प्रीमियम भगतान की कमी मी चुना जा सकता है, बशतां मूल पॉलिसी की प्रीपियम भुगतान की इस राइड को चुना गया है, इस हाइडर के अंतारती संरक्षित हितलाभ पूरी पॉलिसी पूरी बीमा राशि के लिए प्रभावी हो
अंतन्निहत दुर्घटना हितलाभ सहित समस्त पॉलिसियों के अंतर्गत जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम से उसी व्यक्ति के जीवन पर जिस पर निम्नलिखित हितलाभ लागू हो, व्यक्तिगत पौलिसियों तथा समूहू पॉलिसियों के अंतरगतत कुल दुर्दटना हितलाभ किसी भी घटना के लिए ₹ 100 लाख की दुर्घटना
हितलाभ बीमा राशि से अधिक नहीं होगा। अगर एक से अधिक पौलिसियां हतलाम बीमा राशे से अधिक नहीं होगा। आगर एक से अधिक पॉलिसियां
हों तथा कुल दुर्टना हिताभ बीमा राशि ₹ 100 लाख से अधिक हो तो पॉलिसियों को जारी करने की तिथि के क्रम से प्रथम ₹ 100 लाख की द्वर्चना हितलाभ बीमा राशि लागू होगी
आगर इस पॉलिसी के पूरी बीमा राशि के लिए प्रभावी रहने के दैरान किसी
 होन के 180 दिनों के अंदर, पूर्णत: इसी प्रत्यक्ष कारण से जो कि सभी
दूसरे कारणों से स्वतंत्र हो, (अ) या तो स्थयी एवं पूर्ण विकलांगता शिकार

55. Underwriting is the term used to describe the process of Underwriting is the term used to describe the process of
assessing risk and ensuring that the cost of the cover is
proportionate to the risks faced by the individual concerned. psrepsoritionate to the risks faced by the individual concerned.
Based on underwiting, a decision on acceptance or rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified of cover as well as ap
terms, if any, is taken.
56. UIN means the Unique Identification Number alloted to this plan 56. by the IRDAI.
57. Vested Bonus is the reversionary bonus, if any, which ha
58. With Profits policies mans policies which ire polited for
share in surplus (profits) emerging during the term of the policy in accordance with the terms and conditions of the policy.

## PART - C : BENEFITS

The following benefits are payable under this policy:
Death Benefit: On death of the Life Assured before the stipulated
Date of Maturity provided the policy is inforce, Death benefit, defined as sum of "Sum Assured on Death", vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional bonus, if any, shal higher of 10 times of annualised premium or Absolute assured to be paid on death i.e. $100 \%$ of the Basic Sum Assured during first 5 policy years, $125 \%$ of the Basic Sum Assured during th to 10 th policy years, $150 \%$ of the Basic Sum Assured during
11 th to 15 th policy years and thereatter $200 \%$ of the Basic Sum Assured.
This death benefit shall not be less than $105 \%$ of the total竍 due to underw
2. Maturity Benefit: On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the policy is inforce, Sum Assured on Maturit Additional Bonus, if any shall be payable Where Sum Assure on Maturity is equal to Basic Sum Assure
3. Date of Vesting (Applicable only if the age of the Life Assure If the Life Assured is alive on the vesting date and if poricy in writing for surrendering the policy has not been received by Corporation before such vesting date from the person entitled Life Assured on such vesting date ie. on the policy anniversay coinciding with or immediately following the completion of 18 ears of age and shall on such vesting be ceemed to be a contract hall become the absolute owner of the policy and thife proposer his estate shall cease to have any right or interest therei.

## Rider Benefits

AC's Accidental Death and Disability Benefit Rider (UIN 12 A 209 V 01 1)(If opted): An 'Accident' for the purpose of the and involuntary event caused by external, violent and visible means."
LC's Accidental Death and Disability Benefit Rider will not be available under the policy on the life of minors during minority of the Life Assured. However, this rider will be vailable from the policy anniversary following completion additional premium, if found eligible as per the underwiting ules of the Corporation.
Subject to as stated above, under an inforce policy the LIC for at any time within the policy term of the Base Policy provided, the outstanding policy term of the Base Policy atleast five years. Wherever this rider has been opted for
under the policy, the benefit covered under this rider will be nder the poicy, he beneift covered under this fider will ber or the full Sum assured as on date of accident.
The maximum aggregate limit of assurance under all policies ncluding policies with in-built Accident Benefit taken with
Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs. 100 lakh than one and if the total Accident Benefit Sum Assure exceeds Rs. 100 lakhs, the benefits shall apply to the first R. 00 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date o policies issue
If the Life assured is involved in an accident at any time such injury shall within 180 days of its occurrence solely
directly and independently of all ther cous rest irectly and independently of all other causes result in (a) either permanent and total disability, as hereinater defined
or (b) death of the Life assured and the same is proved to he satisfaction of the Corporation, the Corporation agrees

स. धोखेधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कद्म: तथा
कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।
स्प्रीकरण II: बीमाकरता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्थों
के बारे में सिर्फ़र चुप रहा धरोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों या अनुस्यथारा उसीीारा खामोशी उसके अपने आप में बोलने के बराबर हो।
3. उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धीखेधड़ी के आधार पर अस्वीक्त नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभाथ्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूद़कर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कधित गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को प्राया जाना बीमाकरता की जानकारी में था
धोर्धुड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दाथित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।
स्पष्टकरण - कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेवाजी करता है जस संविद के प्रवे। वे जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम
के आरंभ होने की तिि से या पॉलिसी के पन्चलन की तिधि से या पॉलिसी के रडडर की तिधि से तीन वषों के अंदर जो भी बाद में हो किसी थी समय, इस राइर की तथथ से तिन वषी क अंदर, जो भी बाद मे हो, किसी भी समय, इस
आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बिमित व्यक्ति के जिवकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुन्चर्चालित की गई थी या राइडर जारी
किया गया था, छिपिया गया था या गलत दिखाया गया था।
शर्त यह है कि बीमाकता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कान्नी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनददेशितों को लिखित में उन आधरों तथा तथ्यों बस्वीकृत करने का यु पैस्ता लिया गया है।
आगे शर्त यह है कि महत्वपर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपएए जाने के आधार
पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धिखधधद़ी की स्थिति न होने पर, पर पॉलिसी को अस्वीक्त किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर,
अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीयमयों का भगतान बीवमधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों था सम्रुमुदीशतों को ऐऐी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।
स्प्रीकरण- इस उप-धारा के प्रयोजन हेत, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए।
जाने को तब तक महत्वपण नहीं माना जाएाए, जब तक कि उसका बीमाकती द्वारा जाने को तब तक महत्वपपर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का
दयित्व बीमाकता का होगा कि आर बीमाकता को स्थापित तथथ की जनकारी दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि आगर बीमाकर्ता को स्सापित तथ्य की जान
इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकता को किसी भी समय उम्र का प्रमणण मांगने नहीं रोकती है, आर वह इसके लिए अधिक्ति है तथा किसी पॉलिसी की सिफ़्र
इसलिए प्रश्न के लिए बलाया नहीं जा सकता है क्योंक प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उत्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।
(c) any other act fitted to deceive; and
(d) any such act or omission as the law specially declares to be Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the is the duty of the insured or his agent keening silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.
(3) Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insure insured can prove that the misstatement of or suppression of material fact was true to the best of his knowledge and belief of hat there was no deliberate intention to suppress the fact or tha uch misstatement of or suppression of a material fact are with the knowledge of the insurer.
beneficiaries, in case the policyholder is not alive Explanation - A person who solicits and negotiates a contract surance shall be deemed for the purpose of the formation of the entract, to be the agent of the insurer.
(4) A policy of life insurance may be celled in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on th
ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in
the proposal or other document on the basis of which the policy the proposal or other document on the
was issued or revived or rider issued:
Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decisio repudiate the policy of life insurance is based:
rovided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and no
on the ground of fraud the premiums collected on the policy $t$ il the date of repudiation shall be paid to the insured or the lega period of ninety days from the date of such repudiation.
Explanation - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considere aterial unless it has a direct bearing on the risk undertaken by been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured
(5) Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitied to do so, and no policy
shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the ag

आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिति या सममुदेश़त द्वारा अत्रिम रूप से दिए गए ॠण के प्रतिफल स्रूप पॉलिसी का अंतरण या समनदुशेन, चाहे यहा
पणनत: हो या अंशत, नामांकन रद नहीं होगा, लिकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हृ तक प्रभावित करेा, जो कि पॉलिसी में अंतरिती या समनुदृशेत का हित होगा:
भत्त यह भी है कि नामांकन जो कि अंतरण या समनुदेशन पर उसके परिणमस्वरूप अपने आप रद हुआ हो, वह नामांकन समनुदेशित द्वारा पुनः समुनुदेशन या अंतरिती द्रारा कण के भुगतान पर सिवाय बीमाकती को पॉलिसी की जमानत पर, पुनः
अंतरण से स्वत: पुन: प्रवालित हो जाएगा।
जहां पॉलिसी की भुगतान हेतु परिप्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होते है जिसके
जीवन को बीीित किया गया है या अर नामित त्यक्ति या एक से धधिक नामितों जीवन को बीमेत किया गया है या आर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों
में से सभी पौलिसी के भगतान हेत परिपदव हहने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के अंत्गत्रत सुरक्षित राशि का भुगतान पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों था कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणप्त के धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएग।
जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति
के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया
इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन
साथी और बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो ऐसों नामित उप-धारा साथी आर बच्चों या उनमें से किसी का नामित किया हो, एसे नामित उप-धारा
(6) के अंतगतत बीमाकता द्वारा देय रशि के लिए लाभाथी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके टाइटल की प्रकृति
के अनुसार नामांकित को ऐसा लभभाथी टाइटिल प्रदान नहीं कर सकता है।
उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या आगर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप-धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित किया गया है, के बाद
मर जाता है तो पॉलिसी द्वरा सुरक्षित राशि या मरेवाले नामित या नामितों जैसी भी स्थिति हो के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या ससी राशि को पाने के लिएक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए अधिकृत लाभार्थी होंगे
उप-धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की
अमदनीयों से किसी उधारदाता के अधिकार को नस्या समाप्त नहीं करोा। . उप-धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशशधन) अधिनियम 2014 आॉलियों पर कागू होंगे भुतान के लिए परिपव्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू हीं
11. जहां पॉलिसीधारक की मून्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुई हो, लेकिन
पॉलिसी की आय और हितलाभ का भुगतान उसे उसकी मृत्य के कारण न हुए हों, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आपदनी और हितलाभ को पाने का पात्र होग।
12. इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लाग नहीं होंगे,
जिस पर धारा विवाहित सी सम्पत्ति अधिनियम 1874 लाग होता हो या कभी जिस पर धारा 6 , विवाहित स्री सम्पत्ति अधिनियम 1874 लागू होता हो या कभी品
शत् यह है कि, जहां बीमा कानून (संशघधन) अध्यादेश, 2015 के आरंभ होने से
पहले बीमित व्यक्ति के पली या उसकी पली तथा बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में अभिय्यक्त रूप पूल्न नामांकन किया पया तथा हो, चाहते वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया है, कथित धारा 6 पॉलिसी

## परिशिए III

## बीमा कान्न (संशोधन

जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की िथि से या जॉलियी के जार्मान होन की तिथि या जोखिम के आइभ होन की तिथि से या पॉलिसी के पुनचलनन
की तिधि से या पोलिसी पर राइएर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।
जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिधि या पॉलिसी के पुन्चचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइए की तिथि से तीन वष्ँ के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखेधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है
 या नामितों या समनुदुशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथा
सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फ़सला लिया गया है।
स्प्रीकरण।: इस उप-धारा के प्रयोजन हेत, "धोखधध़़" का अर्थ है बीमाधारक
 पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:
अ. सुझावा जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है;
ब. बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;

Provided further that the transfer or assignment of a policy the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel th nomination but shall affect the rights of the nominee only to the
extent of the interest of the transteree or assignee, as the case may be, in the policy:
Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is
reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in avour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer
(5) Where the policy matures for payment during the lifetime of the more nominees than one, all the nominees die before the polic matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representaiv
(6) Where the nominee or if there are more nominee or nominees survive the person whose life is insured, the mount secured by the policy shall be payable to such survivo or survivors
(7) Subjed to the other provisions of this section, where the holde his spouse, or his children, or his low souse and children, or any of hem, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to th 6) unless it is proved that the holder of the policy, having rega the nature of his title to the policy, could not have conferred any uch beneficial title on the nomine
(8) Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are mor ${ }^{(7)}$ applies, die after the person whose life is insured but before be amount secured by the policy is paid, the amount secured as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal epresentatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case
beneficially entitled to such amount.
(9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any cre
any policy of life insurance
(10) The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of he Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.
(11) Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the
 the proceeds and benefit of his policy.
(12) The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Marrie
Act, 1874, applies or has at any time applied
Provided that whe a nominaion made wether before or after Provided comencement of the Insurance Laws (Amendment) Act 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life
or of his wife and children or any of them is expressed, whether or of his wife and children or any of them is expressed, whether said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied the polic

## Annexure 3

Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the
Insurance Laws (Amendment) Act, 201
ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date
of commencenent of risk or the date of revival of the date of the rider to the policy, whichever is later.
(2) A policy of life insurance may be called in question at any time
within three years from the date of issuance of the policy or the within three years from the date of issuance of the policy or the ate of commeme of of fraud
Provided that the insurer shall have to communicate in writing e insured or the legal representatives or nominees or assignees is based. Explanatio
raud" means or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce issue a life insurance policy:
a) the suggestion, as a fact of that which
the insured does not believe to be true;
(b) the active concealment of a fact by the insured having
(अ) बीवित व्यक्ति की अपंगता: (i) इस पॉलिसी के अंतगरत 10 वर्ँ की
अवधि में समान मासिक किस्तों में दुर्टना हिताभ बीमा राशि के अवधि में समान मासिक किस्तों में दुर्टना हितलाभ बीमा राशि के
बराबर अतिरित्त राशि का भगतान करना। अार 10 वर्ष की कधित अवधि की समाप्ति से पहले मृन्यु या परिपक्वता के कारण पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न होता है, तो विकलांगता हितलाभ की किस्तों का जो कि देय नहीं हुई हों, दावे के साथ भुगतान किया जाएगा तथा (ii) पॉलिसी के अंतगरतं भविष्य में लिए जाने वाले दुर्वटना हितलाभ बीमा राशि की सीमा तक के प्रीमियम, आर कोई हो, को माफ कर
दिया जाएगा (मूल पॉलिसी हे प्रीमियम शामिल) किसी अन्य राइडर के लिए प्रीमियमे, अगर चुना गया हो, का भागतान जागी खखना पड़ेग। प्रीमियम की मापी, इस पॉलिसी के अंतर्गत्त सभी विकल्पों के तथा इस क्लॉज के 4.A.(b) के द्वारा संरक्षित हितलाभों को समाप्त कर देगी, सिवाय ऐसे आश्वासनों के, आगर कोई हों, जो कि बीमित व्यक्ति की सभी मोजूदा पॉलिसियों के अंतर्गत कुल दुर्दर्ना हितलाभ बीमा राशि गया हो

ऊपर संदभभत विकलांगता/अपणाता, ऐसी होनी चाहिए जो किसी द्ध्रन्मां का परिणाम हो तथा पूर्ण व स्थायी होनी चाहिए। दुर्द्टार्मक चोट जो अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र तथा दुर्टटा के होने से 180 दिनों के
अंदर ऐसी विकलांगता का कारा बने, जिससे बीमित व्यक्ति, दैनिक जीवन (नीचे परिभाषित) की निम्नलिखित गतिविधियों में से कम से कम 4 (चार) को बिना किसी बाही मदद/समर्थन, जिसमें यांत्रिक उपकरण, विशेष साधन या अन्य मदद भी शामिल है, को करने में स्थायी रुप से असमथ हो, को पूर्ण तथा स्थायी विकलागता/अपणता माना जाएगा। निगम द्वारा अधिकृत चिकिस्सक द्वारा बीमित जीवन दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं:

परिधान - सभी आवश्थक वस्त, कृत्रिम अंग या अन्य सर्जिकल उकरणों को, जो कि चिकिलीय दृष्टि से जरूरी हो, पहनने और उतारने की क्षमता
धुलाई - अपनी स्वच्छता तथा आरोग्य को उचित रुप से बनाए के लिए नहाने-धोने की क्षमता
भोजन करना - भोजन उपलब्ध होने पर उसे थाली या कटोरी लेकर मुंह में डालने की क्षमता
शौच क्रिया - शौचालय का इस्तेमाल करने की क्षमता या अन्य सरीक से मल-मूत्र त्याग करने की क्षमता ताकि निजी स्वच्छता तिशीलता- पर
तक जाने की क्षमता
थानान्तरण - बिस्तर से उठकर कुर्सी या व्हील चेयर पर बैठने तथा इसकी उलट गतिविधि की क्षमता

उपरोक्त के बावजद, दुर्टना के कारण लगी चोट के अलावा अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र तथा ऐसी दुर्टना के होने से 180 दिनों के अंदर दोनों आखों की समप्पण दृष्टि की अपूर्णीय क्षाति या दोनों हाथों
का कलाई या इसके ऊपर से विच्छेदन या दोनों पेरों का टखनों या इसके ऊपर से एक हाथ का कलाई या इसके ऊपर से तथा एक पैर का टखने या इसके ऊपर से विच्छेदन हो तो उसे भी ऐसी विकलांगता माना जाएगा।
विकलांगता के घटित होने के बाद, इसके 90 दिनों के अंदर निगम के इस पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाले कार्यालय में लिखित रुप से बीमित व्यक्ति के पते तथा मोजुद़ी के स्थान का विररण उपयुक्त तरीक
से विकलांगता के प्रमणण के सथथ जो कि निगम के लिए संतोषजनक से विकलागता के प्रमाण के साथ, जो कि निगम के लिए संतोषजनक
हो, निगम के खर्चें के बिना देनी होगी। स चना मिलने पर निगम द्वारा अं, ििमम के खचे के बिना देनी होगी। सूचना मिलने पर निगम द्वारा
अधिक्से के द्वरा बीमित व्यक्ति की जांच की जाएगी तथा विकलांगता के दावे को प्रमाणित किया जाएगा। इसके अलावा, आगर आवश्थक हो तो मामले के अनुसार विकलांगता प्रमाणित करने के लिए चिकित्सीय जांच की जा सकती है
अगर किसी भी समय पर ज्ञात होता है कि इस क्लॉज के अंत्गात दावे को गल्ती से स्वीकार किया गया है, तो इस बारे में निगम को को भुगतान करना होगा और सभी प्रीमियम, जिनके लिए माफी का गल्ती से इस्तेमाल किया गया था तथा अतिरिक्त बीमा राशि की सभी किस्तें, जिनका भुगतान बीमित व्यक्ति को किया गया था, एकमुश्त रकम कर रूप मे समय-समय पर निगम द्वारा निधारित दर पर निगम
को लौटानी होगी, जैसे कि कोई विकलोंगता हुई ही न हो। इसमें असफल होने पर
(i) पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध हितलाभों को इस प्रकार घटा दिया साएगा, जैसे कि प्रीमयमों की माफी की तीथ को पालसी को के भागतान की तिथि को, जो भी पहले हो तथा
(a) Disability to the Life Assured: (i) pay additional sum monthly instalments spread over 10 yeared in equal Policy. If the policy becomes a claim by the way 10 years, the disability benefit instalments which have hot fallen due will be paid along with the claim and (ii) any under the policy (including the premum if any, under the policy (including the premium und
Base Policy) to the extent of Accident Benefit Su Assured. The premium for any other Rider, if opted for, shall continue to be paid.
The waiver of premium shall extinguish all options unde
this policy and the benefits covered by 4.A.(b) of this clause except as to suchef asssurances, if any, as exceed he total accident benefit sum assured under all the existing policies of the life assured and which may have
been kept in force by continued payment of premiums. The disability above referred to must be disability which
is the result of an 'Accident' and must be total and permanent. Accidental injuries which independently of such accident result in such disability due to which life assured is unable to perform at least 4 (four) of
the following Activities of Daily Living (defined below) the following Activities of Daily Living (defined below)
permanently without any external help/suport including the use of mechanical equipment, special devices ther aids, then such disabiity shall be treated as Tota and Permanent. Medical Examiner authorized by the disability as Total and Permanent.
The Activities of Daily Living are
Dressing - the ability to put on and take off all necessmances that are medicaly nos or other surgical
Washing - the ability to wash to maintain an
adequate level of cleanliness and personal hygiene Feeding - the abillt Feeding - the ability to transifer food from a plate or
bow to the mouth once food has been prepared an ailable
Toileting - the ability to use the lavatory or otherwise manage bowel and bladder functions so as
maintain a satisfactory level of personal hygiene Mobility - the ability to move indoors from room
to room on level surfaces at the normal place of residence
Transferring - the ability to move from a bed to a upright chair or wheel chair and vice versa Notwithstanding what is mentioned above, Accidental
injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such acciden result in the irrecoverable loss of the entire sight of bot yes or the amputation of boin hands at or above the wrists or in the amputation of both feet at or above
ankles, or in the amputation of one hand at or above the wrist and one foot at or above the ankle, shall also bo disability
After the happening of the disability, full particulars thereof must be given in writing to the office of the Corporation
where this Policy is serviced together with the the address and whereabouts of the Life Assured and withi oo the servicing Office of the Corporation, in the mann equired by it, proof of disability satisfactory to the Corporation and without any expense to the Corporation examine the Life Assured and certify in respect of any disability claimed after the intimation. Further, medic xamination may be done to validate the continuity isability on case to case basis, if required.
ine event of it being discovered at any time that Claim under this clause has been wrongly admitted, al
premiums falling due after the date of the Corporation's further all premiums for which waiver was wrond claimed and all instalments of additional sum assured which have been paid to the life assured shal be returned
to the Corporation in one lump sum with interest, at such ate as fixed by the Corporation from time to time as no disability had occcurred, failing which
(i) the benefits available under the policy shall stand
reduced as if the policy has been discontinued the date from which premiums have been wis or on the payment of the first instalment of the
addititonal sum assured, whichever is earlier and
(ii) अतिरिक्त बीमा राशि को अदा की जा चुकी किस्तों को उक्त
पॉलिसी पर कण माना जाएगा तथा पॉलिसी की धनराशि से पॉलिसी पर कण माना जाएगा तथा पॉलिसी की धनराशि से
जमय-समय पर निगम द्रारा निध्धारित दर से ब्याज के साथ काट लिया जाएगा।
यह मानते हुए कि कोई विकलांगता नहीं है अतिरिक्त दुर्पटना हितलाभ लिए कोई अन्य किस्त/तें देय नहीं होगी
(ब) बीमित व्यक्ति की मृत्यु: मूल पॉलिसी के अंतर्तात मूत्यु हिताभ के अलावा, इस पॉलिसी के अंतर्गात दुर्टना हितलाभ बीमा राशि के समान अतिरिक्त
राशि का भगतान किया जाएगा। लेकिन पॉलिसी दर्टटना के समय प्रभावी होनी चाहिए। भले ही वह मृत्यु के समय प्रभावी हो या न हो।
आगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु निम्न कारणों से हो, तो निगम द्वारा ऊपर (अ) और
किया जाएगा
(i) जानबूझककर खुद को जख्वी करना, आतमह्या की कोशिश, मानसिक रूप से अस्वस्थता या व्याभिचार या बीमित व्यक्ति नशे या मादक
种

(ii) दोो, जन विद्रोह, बागवत, युद्ध (चाहे घोषित किया गया हो या नहीं), आक्रमण, श्रेकार, पर्वतारोहण, स्टीपल चेजिंग, किसी प्रकार की
(iii) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी आपराधिक इ्रादे के साथ कोई आपराधिक कार्य करना; या
(iv) (अ) बीमित व्यक्ति के सशस्ख बल या सैन्य सेवा में रोजगार के कारण उत्प्न्न। यह अपवर्जन उस समय लागू नहीं है आर बीमित व्यक्ति स्मारे देश में किस्मी़ी प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते समय किसी राहत कार्य में शामिल था, या
(ब) अर्दैनिनिक बल को छोड़कर किसी पुलिस संगठन में पुलिस ख्यूटी
में शामिल होने के कारण (जिसमें प्रशासनिक कार्भार शामिल नहीं है)। यह अपवरज्ज तब लागू नहीं है जब पुलिस ड्यूटी में आमिल होने के कारण दुर्घन्टा के लिए दुर्धन्नात्मक मुत्यु तथा
बीमित व्यक्ति की दुर्धटना की तिथि से 180 दिनों के बाद घटित होना
मूल पॉलिसी के अभ्यपण पर देय हितलाभ: यह राइडर काई चुकता मूल्य प्राप्त
नहीं करात तथा इस राडडर के अंतगत कोई अच्याण मल्य उपलत्ध नहीं होगा में सहमागिता: पॉलसी के पूरी तरह से प्रभावी होने पर, निगम के अनुभव के आधार पर पॉलिसी समय-समय पर संशीधित एलआईसी अधिनियम 1956 की भारा 28 के प्रवधानों के अनुसार लाभ मे सहम्माता करती तथा यह पॉलिसी सरल प्रत्यावर्ती बोनस की घोषणा वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाफि पर की जाएयी, बशतं पॉलिसी पूरी तरह से प्रभावी हो। एक बार घोषित किए
जाने पर वे प्लान के गारंटडड हितलाभों का हिस्सा होंी। सरल प्रत्यावरी बोनसों को पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से चुनी छू पॉलिसी अवधि या मुत्य होने तक, जो भी पहले हो, जोड़ा जाएगा।
आगर प्रीमियमों का विधिवत भुगतान नहीं किया गया हो तो पॉलिसी लाभ हहागतता नहीं करी, चाहे पोलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त किया हो या नहीं। आगर पॉलिसी को अभ्र्यण किया जाता है, तो निहित बोनसों का अभ्यर्पण मूल्य, भाग द की शर्त सं. 5 के अनुसार देय होगा
पॉलिसी के अंतग्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस की घोषणा उस वर्ष की जा सकती जब मृत्य या परिपक्वता के कारण दववे की स्थिति उत्पन्न हो।
चुक्ता पॉलिसियों के अंतग्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा।

## ीीमियम का भुगतान

(अ) पालिसीधारक को इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में विनिधारित द्य तिथियों पर प्रीमियम का भुगता
अन्य कर के साथ करना होग
(ब) रियायती अवधि: प्रीमियम भुगान के वाष्षक, छमाही या तिमाही प्रीमियम के लिए एक कैलन्डर माह या 30 दिनों तक की और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की रियायती अवधि दी जाएगी। अार रिययती के दिनों के समाप्त होने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, पॉलिसी कालातीत हो

आगर बीमित व्यक्ति की मूत्यु रियायती अवधि के दौरान लेकिन तब देय प्रीमियम की भुगतान से पहले हो जाती है तो पॉलिसी मान्य रहीी तथा उस प्रीमियम और पॉलिसी की आगली वर्षांठ से पहले देय भुगतान न किए गए
प्रीमियम, आार कोई हो, को भी काटकर शेष हितलाभं का भगतान कर दिया जाएग।
(ii) the instalments of additional sum assured already paid shall be treated as a debt against the sal
policy and shall be deducted with interest at sum rate as fixed by the Corporation from time to tim from the proceeds of the policy
No further instaments of additional Accident Benets Sum Assured shall be
disability had occurred.
(b). Death of the Life Assured: In addition to Death Benef Accident Benefit Sum Assured shall be payable under thi policy. However, the policy shall have to be in force at the
time of accident irrespective of whether or not it is in force a ime of accident ir
The Corporation shall not be liable to pay the additional sum eferred in (a) or (b) above, if the disability or the death of the ife Assured shall:
(I) be caused by intentional self injury, attempted suicide,
insanity or immorality or whilst the Life Assured is the influence or consumption of intoxicating liquer narcotic or drug (unless prescribed by doctor as a part of treatment); o
(ii) be caused by injuries resulting from taking any part in declared or not), invasion, hunting, mountaineering steeple chasing, racing of any kind, paragliding or
parachuting, taking part in adventurous sports; or paray (ii) with criminal intent; or
(iv) (a) arise from employment of the Life Assured in the not applicable if the Life Assured was involved in any rescue operations while combating natura
(b) arise from being engaged in police duty (which
excludes administrative assignments) in any police organization other than paramilitary forces. This exclusion is not applicable where the option to cover Accidental Death and Disabiility Benefit arisisg on chosen; or
Occur after 180 days from the date of accident of the Lif Assured.
Benefits payable on surrender of Base Policy: This rider shall
not accuire any Paid-up Value and no surrender value will be available under this rider.
Participation in profits: Provided the policy is inforce, depending upon the Corporation's experience the policy shall participate ofits in accordance with the provisions of Section 28 of LLC A A
956 amended from time to time and this policy will be eligib for Simple Reversionary Bonus, at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.
Simple Reversionary Bonuses shall be declared annually at the
end of each financial year provided the policy is inforce. Once declared, they form part of the guaranteed benefit of the plan simple Reversionary bonuses will be added from the date ammencement of poicy und in death, if it occurs eariier.
tare profits in duly paid, the policy shali cease to participate in future profits ir
as acquired paid up value
In the event of policy being surrendered, the Surrender Value will be payable as specified in Condition 5 of Part D of this Policy Document.
Final Additional Bonus may also be declared under the policy in
the year when the policy results into a claim either by death or the yea
nial Additional Bonus shall not be payable under paid-up policies.
6. Payment of Premiums
(a). The policyholder has to pay the Premium on the due dates a specified in the Schedule of this Policy Document alongwit
ce period of one month but not less tha 30 days shall be allowed for payment of yearly or hall-yearly r quarterly premiums and 15 days for monthly premiums. he premium is not paid before the expiry of the days of grac the Poicy lapses.
the death of the Life Assured occurs within the grace period will still be valid and the benefits shall be paid after deduction of the said unpaid premium as also the balance premium(s) policy anniversary.

अंतर्तात दावों की प्राथमिकता उस क्रम द्वारा शासित होगी, जिसमें उप-धारा (5) में संदी्भि नोटिस सुप्द किए गए हैं।

ममनुदेशीतों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने उर उसे प्राधिकारी को संदभभत किया जाएग
उप-धारा (5) में संदंर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या समनद्देशन स्राा तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्वारा अन्रोध किए जाने पर या आर अंतरिती या समनददेशेत, विनियमों द्वरा निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर, ऐसे नोटिए के प्राप्त होने की लिखित पावती देता है; और ऐसी किसी पावती को बीमाकता के विरुद इस बात का निष्षूरी साक्ष्य माना जाएएा कि उसे पावती से संबंधित नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ है
अंतरण या सममददेशन के नियमों तथा शतां के अधीन, बीमाकता द्वारा, उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतगतर लाभ के पात्र तथा इव्वविद्यों के अधीन होगा जिसका कि अंतरा या या समन्देशन नी दिति तरणकर्ता या समनदेशक पात था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कर्शाक्री कर सकता है, वह पॉलिसी के अंत्तर्ता ऋण प्राप्त कर सकता है या अंतरणकता सा समनुदेशेक की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी को अम्यर्यण कर सकता है उा उसे ऐसी कार्राई की एक पार्टी बना सकता है।
स्पष्टीकरण - सिवाय इसके कि जहां उप-धारा (1) में संदर्भित पृष्हांकन स्पष्ट रूप से उल्ल्लेख करता हो कि समनुदेशन या अंतरण, यहां दी गई उप-धारा (10) के अंतर्गात सशर्श है, प्रत्येक समुनदेशन या अंतरण को पूर्ण सममुकेशन या अंतरण माना जाएगा तथा समनददेशेत या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमश पूर्ण समनुदीशत या अंतरती माना जाए
बीमा कान्न (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने से पहल किए गए
किसी समननेदेन या अंतरण ने जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी समननदेशित या अंतरती के अधिकार व उचचार इस धारा के प्रावधारों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।
अं
10. किसी कानून के होने के बावजूद या ग्राहक की कानून के प्रतिकूल बाध्यता होने

र. व्यक्ति के पक्ष में समन्देशेन इस दशा में किया जा सकता है कि
अ. पॉलिसी के अंत्रगत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नामित मित्य बीमान दे में देय हो सकती है आरा समनुदेशित या
तृु तु से है है।
तथापि सश्र्त समनुदेशेत पॉलिसी को अभ्यर्यण करने या पॉलिसी पर कण लेने का पात्र नहीं होगा।
उप-धारा (1) के अंतग्गत बीमा पॉलिसी के आंशिक समनुदेशन या अंतरण की दशा में, बीमाकती की दायिता आशिक समनुदेन या अंतरण द्वारा सुरक्षित की
आई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधररक उसी पॉलियी के अंतगतत देय शेष राशि के लिए पुनः समनुदेशन या अंतरण करने का पात्र नहीं होगा।

## परिशिए II

गांकन- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधितित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार

जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपव्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति पॉलिसी द्वारा संरक्षित रशशि का भुगातान किया जाएगण।
शर्त यह है कि, आर नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानुनन उचित होगा कि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को
नियद्य करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की नियुय्त करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान
मृत्युने पर पॉलिसी द्वारा सरंक्षेत राशि को प्राप्त कर सके।

एस किसी नामाकन को प्रभावी होने के लिए, आर वह पॉलिसी की शब्द योजना निगमित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पुष्वांक्न तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉङस में उसके द्वारा पंजीकरण के जरिए निगमित
किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नमांकन पॉलिसी के परिप्व होने से पहले कियी ीी समय भभातन से पव किसी पष्षंकन या वसीयत, जैसी भी स्थिति हो, द्वरा रद किए या बदले जा सकते हैं, लेकिन आर इस प्रकार निस्स्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमाकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाक्ता पॉलिसी के अतंग्गत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित नहीं होगा।
बीमाकरता द्वारा पॉलिसीधारक को नामाकन के पंजीकृत कराए जाने या उसके निस्तीकणज प्रो वदल जाने द्वरा सकता है। ले सकता
धारा 38 के अनुकुम में पॉलिसी में किसी अंतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वतः रद ही जाएा:
शर्त यह है कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जो कि समनुदेशेन के समय लिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमाकरता द्वारा पॉलिसी की जमानत पर, उसके अभ्यपण मूल्य या पुनः सममनुशेन के अंतग्रतत हो, ऋण स्वरूप की
भर्याई करने पर नामांकन रद्न हहों होगा, लेकिन नाभित के अधिकार केवल उस हुद तक प्रभावित होंगे, जितना कि पॉलिसी में बीमाकरता का हित हो
or assignment the priority of the claims under such instrumen
shall be governed by the order in which the notices referred to sub-section (5) are delivered:
Provided that if any dispute as to priority of payment arises as
between assignees, the dispute shall be referred to the Authority
(7) Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5) logether with the date thereof and the name of the transferee the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on paymen
of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and an such acknowledgement shall be conclusive evidence again acknowledgment relates.
(8) Subject to the terms and conditions of the transfer or assignmen the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referre in the notice as the absolute transferee or assignee entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to al labilities and equities to which the transferor or assignor wa any proceedings in relation to the policy obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings Explanation - Except where the endorsement referred to in
sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunde every assignment or transfer shall be deemed to be an absolut assignment or transfer and the assignee or transferee, as th
case may be, shall be deemed to be the absolute assignee transferee respectively
(9) Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act 2015 shall not be affected by the provisions of this section.
(10) Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon th condition that-
a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of
either the assignee or transferee predeceasing the insured
b. The insured surviving the term of the policy, shall be valid: Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on tie poicy or surrender a policy.
(1). In the case of the partial assignment or transfer of a poicy be limited to the amount secured by partial assignment or transfe and such policyholder shall not be entitled to further assign

## Annexure 2

Nomination - As Section 39 of the Insurance Act 1938, as amende by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015
(1) The holder of a policy of life insurance on his own life may, whe
effecting the policy or at any time before the policy matuen payment, nominate the person or persons to whom the mone secured by the policy shall be paid in the event of his death: Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for
the policy holder to appoint any person in the manner laid dow the insurer, to receive the money secured by policy in the eve of his death during the minority of the nominee.
(2) Any such nomination in order to be effectual shall, unless
it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and an such nomination may at any time before the policy matures for endorsement or a will, as the case may be, but unless notice it writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment unde the policy made bona fide by him to a nominee mention
text of the policy or registered in records of the insurer.
(3) The insurer shall furnish to the policy holder a writte acknowledgement of having registered a nomination or cancelation or change herrof, and may charge such fee a may be spe
or change.
(4) A transter or assignment of a poicicy made in accordance win section 38 shall automatically cancel a nomination: Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears
the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy with its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the

वैधानिक परिवत्तन: इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम व देय हितलाभ तथा नियम लाभों का उदाहरण: मानक जीवन अवधारणा पर आधारित आपका अनुकूल हितलाभ का उदाहरण इस पोलिसीी दस्तावेज के साथ संलन है।

## ग - ल: सांविधिक प्रावधान

## मा अधिनियम 1938 की धारा 45

उयय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 का प्रावधान लाग गण। मौज़दा प्रवधान परिशिष्ट-III में संलन्न है।

## शिकायत समाधान प्रणाली:

हहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्ष्त्रीय/केन्द्रीय कार्यालय शिकायत समाधान अभिकारी है। प्राहकों की शिकायत का शीर्षीप्र समाध्रीन करने के ए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइड) http://www.licindia.in के ज़ारिए ग्राहकोन्मुखी एकीकृत शिकायत प्रंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके ज़रिए पंजीकृत लिसी निगरानी रख सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए ईमेल आइड़

आर कोई ग्राकक हमसे प्राप्त प्रतिसाद से संतुष्ट नहीं है या उसे 15 दिनों के अंदर र प्रताद प्रान नही हैत है तो

टोल फ़ी नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीपआई के शिकायत कॉल से
complaints@irda.gov.in पर ईमेल प्रेषित करके
http://www.igms.irda.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करे
क्रियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता
उपभोक्ता मामला विभाग, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, वरीं मंजिल, युनायटेड इंडिया टावर्र, बशीरबात, हैदराबाद-500029, आंध्र प्रदेश

जो दावेदार मृत्य के दावे को अस्वीकृत किए जाने के निर्णाय से असंतुष्ष हों वे
अपने मामले को समीक्षा के लिए क्षपत्रय कार्यालय द्वरा विवाद समाधान समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधिन समिति के पार भेज सकते हैं। प्रत्येक दावा कन्द्रीय कायालय दावा विवाद समाधान समिति के पास भेज सकते हैं। प्रत्येक दावा
विवाद समाधन समिति में उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के एक सेवानवृत्त जज अदस्य के रूप में हैं। शिकायतों से संबंधित दावों के समाधान के लिए दववदार भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीमा लोक्पाल से भी सम्प्रक कर सकते हैं जो कि
ग्रहकों को कम खर्वें के साथ त्वरित गति से मध्यस्थता प्रदान करने के लिए है। परिशिष।

## समनुदेशन-बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार

बीमा पॉलिसी का अंतरण या सममनदेशन, पूर्णःः या अंशतः प्रतिफलसहित या इसके
बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृष्कांन या अलग से इंस्टूमेन्ट द्वरा किसी भी मामल में अंतरणकता या समनदुदेशक या उनके अधिकृत एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है, जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, विशेष रुप से
अंतरण या अभ्येण के तथ्य और कारण, समनदेशेत के पवरवृत्त और समनदेशन की शतों का उल्लेख करते हुए। बीमाकर्ता उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए किसी अंतरण या समनुदेशन को
स्वीकार कर सकता है या किसी पष्ठंकन को स्वीकर करने से मना कर सकता है आगर उसके पास यह मानने का प्याप्त कारण हो कि यह अंतरण या समनुदेशन वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या जनहित या बीमा पॉलिसी की ट्रिडिंग के प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं है।
 कारण को लिखित में दर्ज करगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण या समनदुशेन का नोटिस देने की तिधि से 30 दिनों के अंदर ऐसी अस्वीकृति से पॉलिसीधीरारक
को सुचित करोगा। को सूचित करणा
बीमाधारक द्वारा ऐसे अंतरण या पुषांकन पर अमल करने से इन्कार करने से
पपायवित कोई व्यक्ति बिमाकता से कारण सहित इन्कर की सुच्ना मिलने की प्रभावित काई व्यक्ति बीमामकता से कारण सहित इन्कार की सूचना मिलने की
तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राधिकरी के पास अपना दावा रख सकता है। उप-धारा (2) के प्रवधानों के अधीन, अंतरण या समनुदेशन पूर्ण होगा तथा
 न होगा, तथा यह अंतरिती या समनुदेशित या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अंतगत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या समनुदेशन का लिखित में
ोोटिस या उक्त पषंक्न या इस्मेन्ट की प्रति, जिसे जब तक कि अंतराक्ता सा अंतरिती दोनों या उनके विधित अधिव जनेन्ट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं जाता है।
वशतें जहां बीमाकर्ता के भारत में एक या अधिक कारोार के स्थान हो, वहां
ोोटिस को केवल वहीं पर दिया जाना है, जहां से पॉंलिसी को सेवा प्रदान की जा रही है।
जिस तिधि को उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस बीमाकर्ता को सुपद्द किया जाता
है उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या समनुदेशन के अंतगत सभी दावों के लिए प्राथमिकता को विनियमित करेगी, तथा जहां अंतरण या समनदेशेन के एक से अधिक इंस्ट्येन्ट हों वहां ऐसे इंस्ट्रमेन्ट्रस

Legislative Changes: The Terms and Conditions including the
Legislative Changes: The Terms and Conditions including the
premiums and benefits payable under this policy are subjec to variation in accordance with the relevant Legislation \& Regulations.
Benefit Illustration: Your customized Benefit Illustration is

## PART - G: STATUTORY PROVISION

PART - G: STATUTORY PROVISIONS
The provisions of Section 45 of the Insurance Act 1938 shall be
applicable as amended from time to time. The current provisions are applicable as amended from time to time. The current provisions are

## Grievance Redressal Mechanism

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Brand Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of
customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindiai.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal
any grievances.
incase the customerisnot saisfied withe response ordonotreceive a response from us within 15 days, then the customer may approac Calling Toll Fre Number 155255 / 1800425432 (ie. IRD. Grievance Call Centre)
sending an email to complaints@irda.gov.in
Register the complaint online at http://www.igms.irda.gov.in
Adaress for sending the complaint through courier / letter:
Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Basheerbagh, Hyderabad - 5000 029, Andhra Pradesh.
Sending the complaint by Fax to 040-66789768
Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claim Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redress Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants
Annexure 1
As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015
(1) A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, endorsement upon the policy itself or by a separate onstry by and signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the on which the assignment is made.
(2) An insurer may, accept the transfer or assignment, or decine to act upon any endorsement made under sub-section(1), where oot bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy
(3) The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, the same to the policyholder not later than thity days from the date the same to the poicyhnolder not taeer hhan thirty days from the date
(4) Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline
to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the dater of receit of the within a period of the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.
(5) Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall no e operative as against an insurer, and shall not confer upon for the amount of such policy or the moneys secured thereby unt a notice in writing of the transfer or assignment and either the said ndorsement or instrument itself or a copy thereof certififed to b agents have been delivered to the insurer:
Provided that where the insurer maintains one or more places a business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.
(6) The date on which the notice referred to in sub-section (5) is
delivered to the insurer shall regulate the priority of all claim delivered to the insurer shall regulate the priority of all claim
under a transfer or assignment as between persons interested in he policy; and where there is more than one instrument of transf
(स) आगर पॉलिसी पभावी है और पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मान्य के
मामले में दवा दर्ज हआ है, और माल्य की तिधि तक द्य सभी पी पीमुयम का भामल में दावा दर्ज हुआ है, और मूल्यु की तिथि तक देय सभी प्रीमियम का
भगतान किया गया हैं, जहां प्रीमयम के भगतान का माध्रम वार्षिक माध्यम से भिन्न है, अगर बकाया प्रीमियम का भुगतान मृत्यु के बाद नहीं किया गया है, और वें आलीी पॉलिसी वर्षांठ से पहले देय होती हैं, तो उन्हें दावे की

## राशि से काट लिया जाएगा

## भाग - द: सेवा प्रदान करने के पहल स से संबधित शत्रो

उन्र का प्रमाण: प्रस्ताव प्रपन में घोषित को गई बीपित व्यक्ति की उप्र पर प्रीमियम त्रणना हो जाने के पश्चात यदि उम्र उस उम से अधिक पायी जाती है तो और उपचारों स्रित के बीमां अधिनियम 1938 के अतगत्त उपलब्ध अधिकारों बिना, ऐसे मामले में प्रीमियम सही उम्र के आधार पर मूल बीमाराशि और रहाइडूस बीमाराशे, आर लिया गया हो तो, के लिए निकाली गई दर से देय होगा और बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक निगम को पॉलिसी आरंम होने से लेकर ऐसे भुगतान संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिए निगम द्रारा उस समय प्रचलित निर्धारित दर पर ब्याज सहित भुगतान करेा। तथापि, प्रावधान है कि यदि बीमित उपयक्त संचित ऋण रशशि का भुतान न करे तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिधि से पॉलिसी के दावा बनने की तिधि तक सही उम के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किस्त पर दावे के समय प्रचलित दर से ब्याज के साथ पालिसीधारक द्वारा देय होगी। उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा देय कण माना जाएगा तथा पॉलिसी के अंत्रात दावा होने पर पॉलिसी धनराशि से काट लिया जाएगा।
यह भी प्रावधान है कि यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही उम ऐसी हो तो उक्त तालिका में निद्दिष बीमा वर्ष अथथा शतां के अधीन उसे बीमा के
लिए अयोग्य बना दे तो उसको बीमा के आरंम में प्रचलित अन्य बीमा योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो कि पॉलिसीधारक की सहमति के अधीन होगी, अन्याल पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।

## जब्ती और गगर-जब्ती संबंधी कानूनः

## जब्वी संवंधी कान्त:

(i) आर 3 वषों से कम के लिए प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और उसके बाद के प्रीमियमों का भुगतान न किया गया हो तो अदा न किए गए पहले
प्रीमियम की तिथि से रियायती अवधध की समाप्ति के बाद इस पालिसी के अंतगतत सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे तथा कुछ भी देय नहीं होगा और अदा किए गए प्रीमियम भी नहीं लौटाए जाएँं।
(ii) कातिपय अन्य घटनाओं में जब्बी: अगर यहां विहित या पृषांकित कोई शर्त प्रतिकूल पायी जाती है या आर प्रस्ताव, व्यक्तिगत वक्तवय, घोषणा तथा जाया जाता है या किसी महत्वपर्य जानका गल जानकारी का दिया जाना प्रत्येक स्थिति में कोंलिसी भहा हो जाएपी तथा किसी हिताता है, तो ऐसी समय-समय पर चथांशेतित की अीकियम, 1938 की धरा 45 के समय-समय पर यथासशीधित
प्रवधानों के विष्याधीन होंगे

## गै-जब्ती संबंधी कानूनः

लेकिन आर, कम से कम पूरे तीन सालों के प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद, अगले प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह पूरी तरह से अमान्य चकता पॉलिसी के अंत्रगत "मृन्यु पर बीमा राशि" को एक ऐसी राशि के रूप में घटा दिया जाएगा, जिसे "चृृ्यु पर चुकता बीमा राशि" कहा जाएगा तथा यह [(अदा किए गए प्रीमियम किस्तों की संख्या/प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान
दे प्रीमियम किस्तों की कुल संख्या) $x$ मृत्यु पर बीमा राशि] के समान होगी।

कता पालिसी के को "परिप्वता पर चुक्ता बीमा राशि" कहा जाएगा और यह [अदा किए गए ीमियम किस्तों की संख्या/प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान देय प्रीमियम किस्तों कुल (i) $x$ (रीक्वा पर
आगर पॉलिसी चुकता पॉलिसी के रुप में जारी रहती है तो भविष्य के मुनाफों में भागीदरी की पात्र नहीं होगी। हालांकि आएर कोई निहित सरल प्रत्यावत्ती बोनस

उपरोक्त उल्लेख किए गए के बावजजद, आरा इस पॉलिरी के अंतर्गत कम से कम
पूर 3 वष्षों के प्रीमियों का भुगतन किया गया हो, और उसके बाद के प्रीपियम 3 वषों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, और उसके बाद के प्रीमियम
भा भगतान न किया गया हो, तो पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की देय तथि से छ: महीने के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर "मृत्यु पर देय बीमा राशि" का भुगतान, निहित सरल प्रत्यावत्ती बोनसों, तथा अंतिम अतिरिक्त बोनसों आगर काई हो, के साथ (अ) मूल पालिसी हेतु मुत्यु की तिथ तक अदा न किए कर क्य होने वाला मूल पांलिसी के लिए अदान निए गए पीमियम को काटकर किया दाएया।।
उपरोक्त उल्लेख के बावजूद, आर इस पॉलिसी के अंत्गात कम से कम पूरे ववों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, और उसके बाद के प्रीमियम का भुगतान न किया गया हो, तो पहले भुगतान न किए एए प्रीमियम की देय तिथ से
12 महने के अंद्र बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर "मृत्यु पर देय बीमाना राशि"
का भुगतान, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, आर
(c). In case of death of Life Assured under an inforce policy aid and where the mode of payment of premium is other an yearly, balance premium(s), if any, falling dwe from the date of death and before the next
deducted from the claim amount.
PART - D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS
Proof of Age: The premiums having been calculated on the
age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case age of the Life Assured as declared in the Proposal, in cas the age is found higher than such age, without prejudice to
the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938 , the premiums shall be payable nsuch case at the rate calculated on the Basic Sum Assure and the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums, from the commencemen of the Policy upto the data of such payment shall be paid to the from time to time. However, in case the Life Assured/Propose continues to pay the premiums at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the
accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums from the commencement of this Polic up to the date on which the Policy becomes a claim, with interes by the Corporation from time to to time, shall accrue and be treate as a debt due by the Life Assured/Proposer against the said Polic and shall be deducted from the Policy moneys payable on the
Policy becoming a claim Provided further that if the
such as would have made him/her uninsurable under the clas or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the Class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as
are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled.

## Forfeiture Regulations:

s' premiums have been paid in respe all the benefits shall cease after the expiry of grace perio rom the date of first unpaid premium and nothing shal be payable and the premiums paid thitherto are also not
(ii) Forfeiture in Certain Other Events: In case any conditio herein contained or endorsed hereon be contravened of castained in the proposal, personal statement, declaratio and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be
void and all claims to any benefit by virtue hereof shall be to the provisions of Section 45 Act, 1938, as amended from time to time.

## Non-forieiture Regulations:

, after atleast three full years' premiums have been paid and an absequent premiums be not duly paid, this policy shall not bed The Sum Assured on Death under a paid-up policy shall be be reduced to such a sum, called 'Death Paid-up Sum Assured' and shall be equal to \{Sum Assured on Death * (Number of premium mid/Toan
The Sum Assured on Maturity under a paid-up policy shall be
reduced to such a sum called as 'Maturity Paid-up Sum Assured and shall be equal to \{Sum Assured on Maturity* (Number emiums paid/Total number of premiums payable)\},
If a policy continues as a paid up policy the same shall not be
entitled to participate in future profits. However, the vested simple reversionary bonuses, if any, shall remain attached to the reduced paid up policy.
Notwithstanding what is stated above, if atteast 3 full years
premiums have been paid in respect of this policy, and any subsequent premium be not duly paid, in the event of the deat of the Life Assured within six months from the due date of first unpaid premium, "Sum Assured on Death" along with vested
simple reversionary bonuses and final additional bonus, if any will be paid after deduction of (a) the premium(s) for the bas policy unpaid with interest thereon upto the date of death on the same terms as for revival of the Policy during guch period, and (b) date of death and before the next Policy anniversary.
Notwithstanding what is stated above, if at least 5 full years
premiums have been paid in respect of this policy and any premiums have been paid in respect of this policy, and any
subsequent premium be not duly paid, in the event of death of the Life Assured within 12 months from the first unpaid premium, Sum Assured on Death" along with vested simple reversionary

कोई हो, के साथ (अ) मूल पॉलिसी हेत मृन्यु की तिथि तक अदा न किए गए
प्रीमियों और उन पर लगने वाला ब्याज, उन्ही शतों पर जो कि इसी अवधि ीमियमों और उन पर लगने वाला ब्याज, उन्ही शतों पर जो कि इसी अवधि
लिए पॉंलिसी के पनचर्चालन पर हो तथा (ब) आली पॉलिसी वर्षपां से पहले देय होने वाला मूल पॉलिसी के लिए अदा न किए गए प्रीमियम को काटकर किया जाएग।
ये प्रावधान वैकल्लिक राइडर पर लागू नहीं होते है क्योंकि वे कोई चुकता मूल्य प्राप्त नहीं करते है और पॉलिसी के कालातीत अवस्था में होने पर राइएर हितलाभ समाप्त हो जाते हैं। कालातीत पॉलिसियों का पुर्चलन: आगर रियायती दिनों के अंदर प्रीमीयम का भुगतान
न करने के कारण पॉलिसी कालातीत होगयी हो, तो इसे अदा न किए गुप पहले
प्रीमियम की तिथि से लगातार 2 वबषों की अवधि के अंदर तथा परिप्वता की प्रीमियम की तिथि से लगातार 2 वषों की अवधि के अंदर, तथा परिपक्वता की
तिथि से पहले, मार बीमित व्यवित के जीवनकाल के दौरान फिए से चाल किया जा सकता है, जो कि निगम को बीमित व्यक्ति हेत संतोषपप्पद, निस्तर्त बीमा योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने तथा तथा समय-समय पर निगम द्वारा निध्राशित दर पर ब्याज के साथ (छमाही चक्रवृद्धि दर से) प्रीमियम की सभी बकाया राशियों का अुगान करने पर होगी। लेकिन निगम के पास स्थीतित पॉलिसी को फिर से चालू स्वीकार करने का अधिकार सरश्वित है। स्थितीत पोंलि से स्थ स्वीकार करने या होगी जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा तथा बीमित व्यक्ति को विशिष्ट रुप से सूचित कर दिया जाएगा।
राइड को पुन्चालित करने, आरा चुना गया हो, पर तभी विचार किया जाएगा किया जाता है, न कि सिर्फ़ राइडर को। पॉलिसी खण: अगर कम से कम परे तीन वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो तो इस पालिसी की निम्नलिखित शतों तथा पॉलिसी के अभर्यण मूल्यों
रर तथा निग् द्वारा समय-समय पर निध्धारित की गई अन्य नियमों तथा शतों के अंत्तरत ऋण प्राप्त किया जा सकता है
पॉलिसी पर्णत: समनदेशेत होगी तथा कण और उस पर ब्याज की अदायगी
के लिए उसे जमानत के रूप में निगम के द्वारा धारित रखी जाएगी। निगम को ब्याज का भुगतान इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लेते समय निगम द्वारा विनिध्धारित दर से छमाही चक्रवृद्धि दर से किया जाएगा। ब्याज की पहली किस्त का भुगतान आली पॉलिसी वर्षांठ पर या आलती पॉलिसी वर्षापांठ
से छ. महीने पहले की तिधि पर, जो भी उसके तुर्त बाद हो, जब ॠण स्वीक्त किया गया था, किया जाएगा और उसके बाद हर छ: महीने पर किया जाएगा। ब्याज कम से कम छ: महीनों के लिए लिया जाएगा।
ऐसी पॉलिसियों के मामले में जो कि प्रभावी न हों जैसे कि चुकता पॉलिसियां, ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार देय तिथि को कण पर ब्याज के भुगतान
में चक के कारण निगम 30 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद में चूक की कारण, निगम 30 दिनों की नोटस अवाध की समाप्ति के बाद
किसी भी समय, ऐसी चक करने वाली पॉलिसियों को समय पूव समाप्त करने के लिए अधिकृत है। ऐसी पॉलिसियों को समय पूर्व समाप्त किए जाने पर पूर्वसमाप्ति की तिथि पर वे अभ्यमणण मूल्य के भुगतान की पात्र होंीी, जाएगा। हालांकि, त्रभावी पॉलिसियों के मामले में (जहां सभी प्रमियमों का भुगतान किया गया हो), पूर्व समाप्ति की क्रिया लागू नहीं होगी।
आरा पॉलिसी परिपक्व होती है या अभ्यर्पित की जाती है या मुल्यु के कारण
दावा उत्पन्न होता हैं तो निगम द्वरा पॉलिसी की धनराशि से बकाया ऋण दावा उत्पन्न होता हैं तो निगम द्वारा पॉलिसी की धनराशि से बकाया ऋण
या उसके किसी अंश को सभी देय ब्याजों के साथ काट लिया जाएगा। भर्पर्पण: पॉलिसी के अंतर्तत कम से कम लगातार तीन वर्षों के प्रीमियमों का भुगातान करने के बाद उसे पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यार्पित गरंटीड अभ्यर्यण मूल्य कुल अदा किए गए प्रीमियमों में से बीमालेखन निर्णयों के कारण घटायी गई किसी अतिरिक्त राशि तथा राइडर (राइडर्स) के लिए प्रीमियम,
अरा चना गया हो, के साथ कुल अदा किए गए परीमियम पर लियू गयरंतिड आर चुना गया हो, के साथ कुल अदा किए गए प्रीमियम पर लागू गारंटीड
अअ्यपण मूल्य घटक के गुणनफल के समान होगा। प्रतेशत के रूप में व्यक्त किए ए ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी वर्ष पर निभर्भर करंगं; जब जॉलिसी को अग्यर्धित किया गया था तथा ये इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-4 में मौजूद हैं इसके अलावा, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों, आगर कोई हो के अभ्युप्यण मूल्य
की भी भुगतनान किया जएएा जो कि निहीत बोनस और निहत बोनसों पर लगू
 किया गया तथा यह इस दस्तावेज के परिश्ष-5 के रुप में संली को
तथापि, इस पॉलिसी के अंतर्गात विशेष अभ्युप्यण मूल्य का भुगतान किया जाएगा, आगर वह पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल है। विशेष अभ्यर्पण मूल्य, परिप्ववता चुकता बीमा राशि (भाग द की शर्त 2 में परिभाषित) तथा निहत सरल प्र्यावती पॉलिसी पर लाूू ये विशेष अभ्यप्यण मूल्य घटक आईआरीएअआई की पूर्व मंजूरी समय-समय पर बदल सकते हैं
राइडर पर कोई अभ्यर्यण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा

## थाग - य: लागू नही

## भाग - ₹: अन्य नियम व शतें

मुफ्त समीक्षा अवधध: इसके दौरान, आर पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियम तथा शतों से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी आपत्तियों के कारण का उल्लेख करते हुए
पॉलिसी को लौटा सकता है। इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा
eduction of (a) the premium(s) for the base policy unpaid wis interest thereon upto the date of death on the same terms as remium(s) for the base policy falling due from the date of deat and before the next Policy anniversary
hese provisions do not apply to optional Rider(s) as they do not acquire any paid up value an
if policy is in lapsed condition.
3. Revival of lapsed Policies: If the Policy has lapsed due to on payment of due premium within the days of grace, it may period of 2 consecutive years from the date of the first unpai remium and before the date of maturity, on submission of proc he Corporation and the payment of all the arrears of premium ogether with interest (compounding half-yearly) at such rate fixed by the Corporation from time to time. The Corporation with modified terms or decline the revival of a discontinued policy he revival of the discontinued policy shall take effect only after he same is approved by the Corporation and is specifica
communicated to the Life Assured. Revival of Rider(s), if opted for, will only be consid
the revival of the Base Policy and not in isolation.
Policy Loan: Loan can be availed under this policy provide theast three full years' premiums have been paid subject to the policy for such amounts and on such further terms and condition the Corporation may fix from time to tim
The Policy shall be assigned absolutely to and held by the
Corporation as security for the repayment of Loan and of the interest thereon;
tierest on Loan shall be paid on compounding half-year basis to the Corporation at the rate to be specififed by the Irst payment of interest is to be made on the next Policy first payment of interest is to be made on the next Policy
anniversary or on the date six months before the next Polic anniversary whichever immediately follows the date o terest is charged for a minimum period of six months.
n case of policies which are not inforce i.e. paid-up policis
in the event of default in payment of loan interest on the due ate as herem mentioned above, the Corporation would default, anytime after expiry of notice period of 30 days. Suc policies when being foreclosed shall be entitled to paymen of surrender value as on date of foreclosure, if any, after in case of inforce policies (where all the due premiums stand paid) foreclosure action shall not be applicable,
case the policy shall mature or is surrendered or become educt the amount of the Loan or any portion thereof which outstanding, together with all interest from the policy moneys. Surrender: The policy can be surrendered at any time during the
policy term provided premiums have been paid for atleast three policy term provid
The Guaranteed Surrender Value shall be equal to the total premiums paid excluding any extra amount if charged unde he policy due to underwiting decisions and premiums for
ider(s) if opted, for, multiplied by the Guaranteed Surrender Value actor applicable to total premiums paid under the policy. These
Guaranteed Surrender Value factors expressed as percentages Guaranteed Surrender value factors expressed as percentages will depend on the policy term and policy year in which the policy document.
addition, the surrender value of vested simple reversionay onuses, if any, shall also be payable, which is equal to veste
 aplicabecto vested bonuses. These Guaranteed Surrend
Value factors will depend on the policy term and the policy year which policy is surrendered and are contained in his policy documen
However, under this policy, Special Surrender Value will be
payable, if it is more favorable to the Policyholder. The Specia Surrender Value will be the Special Surrender Value facto multipied by the sum of Maturitit Paidup-up Sum Assured (as
defined in Condition 2 of Part D) and vested Simple Reversionary Bonuses. The Special Surrender Value factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of IRDA.

## PART E: NOT APPLICABLE. <br> PART - F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

ree look period: During the Free Look period, if the Policyhold is not satisfied with the Terms and Conditions of the policy, he
she may return the policy to the Corporation stating the reaso

या सं संक्षित जोखिम अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी
और राइडर आर चना गया हो. के लिए) स्वास्थ्थ जांच शुल्क व स्टैप्य ड्यूटी और राइडर, आरा चुना गया हो, के लिए) स्वास्थ्य जांच शुल्क व स्टैम्प ड्यूटी अ) समनुदेशनः इस पॉलिसी के अंतर्गत समय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनुयद, 1938 की धारा 38 के अंतर्गत समनुदेशन की अनुमति है। धारा 38
के मोजूद प्रावधान इस पॉलिी दस्तावे के परिशेष- 1 मेंसन हैं। क मौजुदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष-1 में संलन्न है।
समनुदेन की सूचना, पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाले निगम के कार्यालय में समनुदेन की सूचना, पालिसी का
फिजकरण के लिए दी जानी चाहिए।
व) नामांकनः जीवन बीमा के पॉलिसीधारक द्वारा, समय-समय पर यशासंशिधत
 ए हैं।
ामांक्न या नामांकन में परिवर्तन की सूचना निगम कार्यालय द्वरा पंजीकरण हेतु पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाली शरखा में, दी जानी चाहिए। नामांकन का जिजकरा करते समय निगम उसकी वैधता या कानूती प्रभाव के बते
आत्महल्या: यह पॉलिसी अवैध मानी जाएगी
आार बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्स्थस हो या अस्स्स्थ).
जोखिम के आरंभ होने की तिथि से 12 महहनों के अंदर आतमहह्या करता है
 फेवल अदा किए गए प्रीमियम के $80 \%$ को, किन्हीं आतारिक्त राशियों, जिन्ह
बीमालेखन निणययों के कारण पौलिसी के अंतगतन लिया गया हो तथा राड्रा प्रीमियम से भिन्न, आगर कोई हो, को छोड़कर का भुगतान किया जाएगा। बशत्वं पॉलिसी चालू अवस्था में हो।
 की तिथि से 12 महीनों के अंदर आत्महत्या करता है तो मूल्यु की तिथि तक
अदा किए गए प्रीमियम्स के $8 \%$ को किसी अतिरित्त राशियों जिसे बीमालेखन अदा किए गए प्रीमेयम्स के $80 \%$ का किसी अतीरिक्त राशियो, जिसे बीमालेखन
निणयों के करणा पॉलियी के अंतात लिया गता हो तथा कोई हो, को छोड़कर या अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा। निगम द्वरा इस पॉललिसी के अंतगत किसी अन्य दववे पर विचार नहीं किया जाएगा। यह धारा लाग नहीं होगी आर पॉलिसी चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो गी तो ोो ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होग
कर: ऐसी बीमा योजनाओं पर यदि कोई वैधानिक कर भारत सरकार या किसी अन्य भारत की समवधानिक संस्था द्वारा कर लगाया जाता है तो
पर लागू कर संबधी कानूनों और कर की दर के अनुसार होगा
पॉलिसीधारक को प्रीमियम (बेस प्रीमियम और राइड्स सहित, आर लागू हो) जिसमें आलर पॉलिसी के अंत्तात बबमालेखन संबंधी निण्णयों के तहत कोई अतूरिक्त राशि नी गई हो तो वह भी शामिल है, पर देय सेवा कर मौजूदा दरों से लिया जाएगा, जो कि पॉलिसीधारक द्दारा देय प्रीमियम के ऊपर व अतीरिक्त होगा। अदा किए
गए कर की राशि को योजना के अंतगत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
दावे के लिए सामान्य अपेक्षाए: बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर दावेदार द्रारा दवा पस्तुत करते समय देय सामान्य दस्तावेजों में निगम द्रारा विनिर्धारित दावा प्रपत्र नने के लिए दावेदार की और से एइईफफी आदेश, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, मूल्यु से पूर्व चिकित्सा उपचार, स्कूल/कॉलेज/नियोक्ता का प्रमाण पत, इन में से जो लाग हो, निगम को संतोषपपद रूप में प्रस्तुत करना होगा।
आर पॉलिसी के अंगत्गत उम्र स्वीकृत नहीं की है, तो बीमित व्यक्ति की उम्र का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
पॉलिसी के परिपक्वता दावे में परिणत होने या पॉलिसी के अभ्यर्यण किए जाने की स्थिति में, बीमित जीवन को डिस्चार्ज फॉर्म के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, नईशफटी आदेशे, उउ्र का प्रमाण, अार उम्र को पहले स्वीकृत नहीं किया गया एनइएकी आदश, उम्र
ॉॉलिसी के अंतर्गत दुर्दट्नात्मक अपंगता/मृत्यु का दावा उत्पन्न होने पर निम्नलिखित पुत्यु/अपंगता किन परिस्थितियों में हई

1) प्राथमिकी (प्रथम सूचना रीपोट) (एफआईआर) की प्रमाणित प्रतिलिजि
2) पुलिस तहकीकात रिपोट की प्रमाणित प्रतिलिए
) पंचनामा की प्रतीलिपि
मून्य के संभावित कारण की जानकारी के लिए पोस्ट मॉर्म की रिपोर्ट. आगर
पोस्ट मॉटम में बिसरा को सुरक्षेत किया गया है तो उसकी साम्र्यिं की जानकारी के लिए केमिफल एनालाइजर रिपोट्टा अर्थात क्या बीमित व्यक्ति ने शराब, ड्रस्, मादक द्रव्यों या जहर का सेवन किया
3) अरा मृत्यु का कारण वाहन दुर्टनना हो तो ग्राइबिंग लाइसेंस की प्रतिति

आगर मूत्यु का कारण वाहन दुर्ट्टन हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलििि,
आर बीमित व्यक्ति वाहन चला रहा हो।

उहां दुर्टटा की रिपर्ट पुलिस में नहीं की गई हो, जैसे कि कुतेत्ता या साप के काटने से मूल्यु, तो कैकल्पिक प्रमाण दिया जाना चाहिए जैसे कि चश्मदीद
गवाह का बयान, ग्रामसेवक या सरकारी अधिकारी का हलफनमान, हमारी अपनी पूछ्ताछ रिपोर, इलाज करने वाले डोक्टर या अस्पताल की रिपोर्ट तो सकी
) अस्पताल में इलाज का रिॉर्ड, इड्यादि
of objections. On receipt of the same the Corporation sha cancel the policy and return the amount of premium deposited after deducting the proportionate risk premium (for Base Polic and Rider(s), if opted for) for the period on cover and charges
medical examination, special reports, if any and stamp duty medical examination, special reports, if any, and stamp duty. section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from tim to time. The current provisions of Section 38 are contained Annexure-1 of this Policy Document.
The notice of assignment should be submitted for registration to policy is serviced assurance is required as per Section 39 of the Insurance Act 1938, as amended from time to time. The current provisions

The notice of nomination or change of nomination should be policy is eviced. In registering nomination the Corporatio he policy is serviced. In registering nomination the Corporatio validity or legal effect.

## Suicide: This policy shall be void

the Life Assured (whether sane or insane) commits suicid $t$ any tim within 12 months from the date of commenceme of risk, the Corporation will not entertain any claim unde
this policy except for $80 \%$ of the premiums paid excluding any extra amount if charged under the policy due to
underwriting decisions and rider premium(s), if any, provided he policy is inforce.
If the Life Assured (whether sane or insane) commits swicid within 12 months from date of revival, an amount which higher of $80 \%$ of the premiums paid till the date of dea xcluding extra amount if charged under the policy due to
nderwriting decisions and rider premium(s), if any, or the surrender value, shall be payable. The Corporation will no ntertain any other claim under this policy. This clause sha not be applicable for a policy lapsed without acquiring paid-
value and nothing shall be payable under such policy.
Tax: Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance plans the Government of India or any other constitutional tax Authority Is apolicable from time to timeas appicable from time to tim
The amount of Service Tax payable as per the prevailing rates policy \& rider(s),if any) including extra amount if charged unde policy due to underwiting decisions, which shall be collected separaiely over and above in addition to the premiums payable b
the policyholder. The amount of tax paid shall not be considere for the calculation of benefits payable under the plan.
Normal requirements for a claim: The normal documents whic
the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NET me aate from tie mat for direct creadit of the claim amount prio to the death, school/college/employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age shall also be submitted.
Where the policy result into a maturity claim or case surrender of the policy, the Life Assured shall submit the discharg frm along with the original policy document, NEFT mandate fro the claimant for direct credit of the claim amount to the bank
account besides proof of age, if the age is not admitted earier.
Where policy results into a accidental disability/death claim the applicable statements from the following list may be called ascertain circumstances under which death / disabiilty took place:-

A certified copy of police inquest report
3) Copy of panchanama
4) Post mortem report to know the probable cause of deat If viscera are preserved in post mortem, then chemica nalyzer report to know he contentsi.e. Whether life
News paper cuttings where accident is reoorted.
6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving
licence, if life assured was driving the vehicle. Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will
give classification of death as 'natural/suicide/accidental
8) When accident is not reported to police authorities, like When accident is not reported to police authorities, like
death due to dog or ssake bite, then alternate profs such
as statement of eye witness, afidiavit of of ramsevak or govt. sfficials, our own enquiry report, attending physician or Hospital treatment records, etc.

